



**Gi Group
India**



Compliance Newsletter

We take privilege in sharing with you March' 2022 edition of our monthly Compliance Newsletter. The newsletter will help you stay updated with the latest regulatory changes, notifications and amendments.



Contents

Minimum Wages Revision_____	4 - 8
Notifications, Circulars and Amendments_____	9 - 10
Disclaimer & Contact Information _____	11
Annexure _____	12 - 86

Dear Reader,

In this edition of our monthly Compliance Newsletter, we bring to you the latest Minimum Wages revisions notifications from the states of Karnataka, Telangana, Chhatisgarh , Gujarat, Uttarakhand, Bihar, Uttar-Pradesh, Madhya Pradesh

Further, we have also appended the notifications and amendments released in the month of March '22. Some of the important announcements Exemption on Working Hour under the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958, Exemption to conditions for Women Employee under the Punjab Shops and Commercial Establishment Act, 1958 and many more such important news.

Read further to know more!

Best Regards,
Gi Group

Minimum Wages Revisions

The Karnataka Minimum Wages Notification

The Government of Maharashtra has released revised minimum rates of wages by increasing variable dearness allowance effective from 1st April 2022 which will be valid till 31st March 2023. Kindly refer the table below for revised minimum wages under certain categories of Shops & Commercial Establishments. Please refer the notification appended herewith for detailed information.

State: Karnataka				
Effective Date: 01/04/2022				
Category: Shops & Commercial Establishment				
Class of Employment	Designation	Basic Per Month	VDA Per Month	Total Per Month
Office Staff	Manager/ Personal Officer	16423	2233.2	18656.2
Office Staff	Marketing Manager	16423	2233.2	18656.2
Office Staff	Office Supervisor Or Any Other Equivalent Position	16423	2233.2	18656.2
Office Staff	Assistant Manager/ Assistant Personal Manager	15423.4	2233.2	17656.6
Office Staff	Senior Accountant And Any Other Equivalent Position	15423.4	2233.2	17656.6
Office Staff	Senior Clerk	14021.27	2233.2	16254.47
Office Staff	Cashier	14021.27	2233.2	16254.47
Office Staff	Judgement Writer	14021.27	2233.2	16254.47
Office Staff	Stenographer	14021.27	2233.2	16254.47
Office Staff	Storekeeper	14021.27	2233.2	16254.47
Office Staff	Receptionist	14021.27	2233.2	16254.47
Office Staff	Any Other Equivalent Position	14021.27	2233.2	16254.47
Office Staff	Junior Clerk	12746.61	2233.2	14979.81
Office Staff	Booking Clerk	12746.61	2233.2	14979.81
Office Staff	Computer Operator	12746.61	2233.2	14979.81
Office Staff	Typist	12746.61	2233.2	14979.81
Office Staff	Telephone Operator	12746.61	2233.2	14979.81
Office Staff	Data Entry Operator And Any Equivalent Position	12746.61	2233.2	14979.81
Office Staff	Peon	11587.83	2233.2	13821.03
Office Staff	Watchman	11587.83	2233.2	13821.03
Office Staff	Lift Operator	11587.83	2233.2	13821.03
Office Staff	Office Boy	11587.83	2233.2	13821.03
Office Staff	Attender	11587.83	2233.2	13821.03
Office Staff	Helper	11587.83	2233.2	13821.03
Office Staff	Dalayath Mazdoor	11587.83	2233.2	13821.03
Office Staff	Sweeper And Any Equivalent Position	11587.83	2233.2	13821.03

The Telangana Minimum Wages Notification

The Government of Telangana has released revised minimum rates of wages by increasing variable dearness allowance effective from 1st April 2022. Kindly refer the table below for revised minimum wages under commercial establishment category. Please refer the notification appended herewith for detailed information.

State: Telangana				
Effective Date: 01/04/2022				
Category: Commercial Establishment				
Class of Employment	Zone	Basic Per Month	VDA Per Month	Total Per Month
Manager/ Field Officer/ Development Officer/ Security Officer/ Office Incharge/ Computer Programmer	Zone I	5557	7052.8	12609.8
Manager/ Field Officer/ Development Officer/ Security Officer/ Office Incharge/ Computer Programmer	Zone II	5138	7052.8	12190.8
Accountant/ Asst.Manager/ Sales Executive/ Supervisor/ Purchaser/ Store Keeper/ Agent/ Sales Promotion Employees	Zone I	4722	7052.8	11774.8
Accountant/ Asst.Manager/ Sales Executive/ Supervisor/ Purchaser/ Store Keeper/ Agent/ Sales Promotion Employees	Zone II	4520	7052.8	11572.8
Salesman/ Stenographer/ Receptionist/ Auction Bider/ Tradesman/ Type Writer Instructor	Zone I	4520	7052.8	11572.8
Salesman/ Stenographer/ Receptionist/ Auction Bider/ Tradesman/ Type Writer Instructor	Zone II	4302	7052.8	11354.8
Clerk/ Typist/Clerk-cum-Typist/ Godown Incharge/Lineman/ Assistant Salesman/ Asst.Accountant/ Xerox Machine Operator	Zone I	4102	7052.8	11154.8
Clerk/ Typist/Clerk-cum-Typist/ Godown Incharge/Lineman/ Assistant Salesman/ Asst.Accountant/ Xerox Machine Operator	Zone II	3886	7052.8	10938.8
Weighman/ Kolgari	Zone I	3886	7052.8	10938.8
Weighman/ Kolgari	Zone II	3757	7052.8	10809.8
Peon/Attender/ Watchman/ Water Boy/ Helper/ Messenger/ Security Guard	Zone I	3700	7052.8	10752.8
Peon/Attender/ Watchman/ Water Boy/ Helper/ Messenger/ Security Guard	Zone II	3370	7052.8	10422.8
Computer Operator	Zone I	3886	7052.8	10938.8
Computer Operator	Zone II	3757	7052.8	10809.8

The Chhattisgarh Minimum Wages Notification

The Government of Chhattisgarh vide notification No/08/2022/1897 has released revised minimum rates of wages by increasing variable dearness allowance effective from 1st April 2022. Kindly refer the table below for revised minimum wages under various categories. Please refer the notification appended herewith for detailed information.

State: Chhattisgarh				
Effective Date: 01/04/2022				
Category: Various including Shops & Commercial Establishment				
Category	Zone	Basic Per Month	VDA Per Month	Total Per Month
Unskilled	A	8320	1740	10060
	B	8060	1740	9800
	C	7800	1740	9540
Semi-Skilled	A	8970	1740	10710
	B	8710	1740	10450
	C	8450	1740	10190
Skilled	A	9750	1740	11490
	B	9490	1740	11230
	C	9230	1740	10970
Highly-Skilled	A	10530	1740	12270
	B	10270	1740	12010
	C	10010	1740	11750

The Gujarat Minimum Wages Notification

The Government of Gujarat has released revised minimum rates of wages by increasing variable dearness allowance effective from 1st April 2022. Kindly refer the table below for revised minimum wages under various categories. Please refer the notification appended herewith for detailed information.

State: Gujarat					
Effective Date: 01/04/2022					
Category: Shops & Commercial Establishment					
Class of Employment	Zone	Basic Per Day	VDA Per Day	Total Per Day	Total Per Month
Unskilled	Zone I	276	83.3	359.3	9341.8
Unskilled	Zone II	268	83.3	351.3	9133.8
Semi-Skilled	Zone I	284	83.3	367.3	9549.8
Semi-Skilled	Zone II	276	83.3	359.3	9341.8
Skilled	Zone I	293	83.3	376.3	9783.8
Skilled	Zone II	284	83.3	367.3	9549.8

The Uttarakhand Minimum Wages Notification

The Government of Uttarakhand vide Notification No. 1064/4-01/13 has released revised minimum rates of wages by increasing variable dearness allowance effective from 1st April 2022. Kindly refer the table below for revised minimum wages under various categories. Please refer the notification appended herewith for detailed information.

State: Uttarakhand				
Effective Date: 01/04/2022				
Category: Various including Shops & Commercial Establishment				
Class of Employment	Class of workers	Basic Per Month	VDA Per Month	Total Per Month
Unskilled	For Adult Workers In Towns of More Than One Lakh Population	8331	1140	9471
Unskilled	For Remaining Parts of the State	8213	1140	9353
Semi-skilled	For Adult Workers In Towns of More Than One Lakh Population	8924	1140	10064
Semi-skilled	For Remaining Parts of the State	8788	1140	9928
Skilled	For Adult Workers In Towns of More Than One Lakh Population	9518	1140	10658
Skilled	For Remaining Parts of the State	9370	1140	10510
Clerical Category - I	For Adult Workers In Towns of More Than One Lakh Population	10520	1140	11660
Clerical Category - I	For Remaining Parts of the State	10328	1140	11468
Clerical Category - II	For Adult Workers In Towns of More Than One Lakh Population	9772	1140	10912
Clerical Category - II	For Remaining Parts of the State	9611	1140	10751

The Uttar Pradesh Minimum Wages Notification

The Government of Uttar Pradesh vide Notification No. 268-76/Pravartan-(M.W.)/15 has released revised minimum rates of wages by increasing variable dearness allowance effective from 1st April 2022. Kindly refer the table below for revised minimum wages under various categories. Please refer the notification appended herewith for detailed information.

State: Uttar Pradesh				
Effective Date: 01/04/2022				
Category: Various including Shops & Commercial Establishment				
Class of Employment	Basic Per Month	VDA Per Month	Total Per Day	Total Per Month
Unskilled	5750	3780	367	9530
Semi-skilled	6325	4158	403	10483
Skilled	7085	4658	452	11743

The Bihar Minimum Wages Notification

The Government of Bihar vide Notification No. 5/M.W.-40-16/2021-L&R-992 has released revised minimum rates of wages by increasing variable dearness allowance effective from 1st April 2022. Kindly refer the table below for revised minimum wages under various categories. Please refer the notification appended herewith for detailed information.

State: Bihar			
Effective Date: 01/04/2022			
<u>Nature of Employment: 69 Scheduled Employment including Commercial Establishment</u>			
Category	Basic Wages per month	VDA per month	Total Minimum Wages per month
Unskilled	6162	2106	8268
Semi-Skilled	6422	2158	8580
Skilled	7826	2652	10478
Highly Skilled	9542	3250	12792
Supervisory/Clerical	6799	2312	9111

The Madhya Pradesh Minimum Wages Notification

The Government of Madhya Pradesh has released revised minimum rates of wages by increasing variable dearness allowance effective from 1st April 2022. Kindly refer the table below for revised minimum wages under various categories. Please refer the notification appended herewith for detailed information.

State: Madhya Pradesh			
Effective Date: 01/04/2022			
<u>Category: Shops & Commercial Establishment</u>			
Class of Employment	Basic Per Month	VDA Per Month	Total Per Month
Unskilled	6500	2625	9125
Semi-skilled	7057	2925	9982
Skilled	8435	2925	11360
Highly Skilled	9735	2925	12660

Notifications/Circulars/Amendments

The Employees State Insurance (Central) Amendment Rules, 2022

ESIC vide Notification No. G.S.R. 176 (E) has amended provision on sickness benefit under The Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950. As per amendment, insured women who are receiving maternity benefit can also claim sickness benefit i.e cash benefit in case shorter contribution period is available to her, provided that contribution shall be payable for not less than half the number of days available for working in such contribution period. Therefore, this amendment entitles insured women to claim the sickness benefit and such retrospective amendment shall not prejudicially affect any beneficiary of any other benefit entitled under Employees' State Insurance Act, 1948. Please refer to the notification appended herewith for more details.

Exemption on Working Hour under the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958

Government of Madhya Pradesh vide Notification No. 403-442-2022-A-16 directs that provision on opening and closing hours of restaurants and eating houses under The Madhya Pradesh Shops And Establishments Act, 1958 shall not apply to establishments such as restaurants and eating houses located in whole state of Madhya Pradesh following terms and conditions as mentioned below:

1. Every employee shall be given one day holiday in a week.
2. No employee shall be called for work for more than 48 hours in a week.

Therefore, employers of restaurants and eating houses shall take a note and declare holiday and working hour for their employees accordingly. Please refer to the notification appended herewith for more details.

Exemption to conditions for Women Employee under the Punjab Shops and Commercial Establishment Act, 1958

The Governor of Punjab vide Notification No. Labour-LabOPSCA/2/2021-5L/I/325484/2022 and supersession of Notification dated 15th October, 2014 has formulated a scheme for the Shops and Establishments in the State under The Punjab Shops and Commercial Establishment Act 1958. As per the scheme, exemption given to the provisions towards conditions of employment for women and exemption will be given on case to case basis on receipt of applications from the establishments on the mentioned terms and conditions. The exemption awarded towards working hour of women employee subject to conditions mentioned in the notification. Please refer to the notification appended herewith for more details.

The Maharashtra Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions Of Service) (Amendment) Act, 2022

Government of Maharashtra vide notification no. No. XXIV of 2022 has introduced The Maharashtra Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Amendment) Act, 2022. Following are the salient features of the amendment:

1. The name board of every establishment shall be in Marathi language in Devnagari script for the establishments employing ten or more workers or less than ten workers
2. The Marathi language shall essentially be written in the beginning of name board and the font size of the letters in Marathi Language shall not be smaller than the font size of the letters in any other language.
3. The establishments serving or selling liquor shall not have name of legends or forts in a name board.
4. The requirement towards Aadhaar card number in identity card to worker has been removed.

Please refer to the notification appended herewith for more details.

Instruction to pursue Auto Renewal Process under Shops and Establishments in Andhra Pradesh

Government of Andhra Pradesh vide circular no.LAE03-22021/1/2022-E1-LBRCOMR and following earlier notification towards auto renewal of registration under shops and establishments on 14th August 2021 has instructed all deputy commissioner of labour, assistant commissioner of labour and assistant labour officer to pursue the auto renewal process by all the shops and establishments in order to comply with the previous government order as mentioned and also instructed to inform the employers or stake holders to utilize the facility and remit the requisite fee directly through Mee-Seva. Hence employers in the state of Andhra Pradesh shall make a note and avail the facility of auto renewal system on portal and comply accordingly. Please refer to the previous and current circulars for more details.

Disclaimer: All information and content contained in this document are provided solely for general information and reference purposes. GI Group India makes no statement, representation, warranty or guarantee as to the accuracy, reliability or timeliness of the information and content contained in this document. Although every possible care and caution has been taken to avoid any mistakes or omissions while editing. Printing, producing online or publishing the judgments, Head Notes, Editorials, Articles, Forms & Precedents, the subscriber or reader should verify the correctness respectively from the full text as in the certified copy of Judgements or Gazettes concerned. Neither GI Group India nor any of its related company accepts any responsibility or liability for any direct or indirect loss or damage (whether in tort, contract or otherwise) which may be suffered or occasioned by any person howsoever arising due to any inaccuracy, omission, misrepresentation or error which may inadvertently crept on despite care and caution in respect of any information and content provided by this document.

Contact Information:

Name- Sushil Shah, Legal and Compliance

Email- marcom.india@gigroup.com, Website: www.gigroup.co.in

Address- World Trade Tower, Tower-B, Unit 503, 5th Floor, Sector 16, Noida, Uttar Pradesh – 201301

169. Shops and Commercial Establishments

Notification No. KAE 20 LMW 2017, dated 30-12-2017

Published in Gazette dated 29-3-2018, Minimum Wages w.e.f. 30-12-2017

Cost of Living Allowance to be paid over and above 6537 points

Cost of Living Index: 8398 – 6537 = 1861 points

Minimum wages and VDA from 1-4-2022 to 31-3-2023

SCHEDULE

		ZONE-I		ZONE-II		ZONE-III		ZONE-IV	
		PER MONTH	PER DAY	PER MONTH	PER DAY	PER MONTH	PER DAY	PER MONTH	PER DAY
HIGH SKILLED WORKERS									
Pharmacist & Chemist Technical Supervisor other high skilled	Basic	15,423.40	593.21	14,688.95	564.96	13,989.48	538.06	13,323.31	512.44
	VDA	2233.20	85.89	2233.20	85.89	2233.20	85.89	2233.20	85.89
	Total	17,656.60	679.10	16,922.15	650.85	16,222.68	623.95	15,556.51	598.33

1 Substituted for the words "SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENTS" by Notification No. KAE 47, LMW 2017, dated 10-8-2018.

SKILLED WORKERS									
Salesmen/ Sales Girl/ Compounder, Photo-artist Photographer Watch Mechanic/ Repairer Radio Mechanic / Repairer T V Mechanic/ Repairer T V Mechanic/ Repairer Optical Mechanic Repairer									
Skilled labour in lift fixing installing establishment	Basic	14,021.27	539.28	13,353.59	513.60	12,717.71	489.14	12,112.10	465.85
Technician/ Mechanical Instrument shop,	VDA	2233.20	85.89	2233.20	85.89	2233.20	85.89	2233.20	85.89
Carpenter (Furniture shop) Polisher (Furniture shop) Refractionarian man (Optical shop) Hair Dresser (in hair dressing saloon) Air condition plant operator Umbrella / Suitcase maker other skilled labourer	Total	16,254.47	625.17	15,586.79	599.49	14,950.91	575.03	14,345.30	551.74

SEMI-SKILLED WORKERS

Bill collector										
Bill clerk										
Godown Keeper, Booking clerk										
Assistant Sales man/Sales Girl										
Assistant Photo-artists	Basic	12,746.61	490.25	12,139.63	466.91	11,561.55	444.68	11,011.00	423.50	
Shop Assistant	VDA	2233.20	85.89	2233.20	85.89	2233.20	85.89	2233.20	85.89	
Packer	Total	14,979.81	576.14	14,372.83	552.80	13,794.75	530.57	13,244.20	509.39	
Gas Supplier, Stove Repairer										
Painter										
Fruit Juice or Lassi maker in the shops										
other un-skilled labourer										

LIST OF SCHEDULED EMPLOYMENTS MINIMUM WAGES FIXED

UN-SKILLED WORKERS									
Messenger, Weighing man, Bicycle Fitter, Workers engaged in drying, storing, washing, Ironing (in Laundry), measuring, loading and unloading in warehousing godowns, storerooms, Workers engaged in grinding establishment Services, Gunny Bag Stitcher	Basic	11,587.83	445.69	11,036.03	424.46	10,510.50	404.25	10,010.00	385.00
	VDA	2233.20	85.89	2233.20	85.89	2233.20	85.89	2233.20	85.89
	Total	13,821.03	531.58	13,269.23	510.35	12,743.70	490.14	12,243.20	470.89
General workers (in all shops and commercial establishments other than in administration and clerical cadre and who are not covered in any of the above categories) other un-skilled labourer									
OFFICE STAFF AND DRIVERS									
Manager, Personal Officer, Marketing Manager, Office Incharge and Equivalent Job	Basic	16,423.00	631.00	15,688.00	603.38	14,989.00	576.50	14,323.00	550.88
	VDA	2233.20	85.89	2233.20	85.89	2233.20	85.89	2233.20	85.89
	Total	18,656.20	716.89	17,921.20	689.27	17,222.20	662.39	16,556.20	636.77
Assistant Manager, Assistant Personal Manager, Senior Accountant, and Equivalent Job	Basic	15,423.40	593.21	14,688.95	564.96	13,989.48	538.06	13,323.31	512.44
	VDA	2233.20	85.89	2233.20	85.89	2233.20	85.89	2233.20	85.89
	Total	17,656.60	679.10	16,922.15	650.85	16,222.68	623.95	15,556.51	598.33

Senior Clerk, Cashier, Judgment Writer, Steno-grapher, Store-keeper, Receptionist and Equivalent Job	Basic	14,021.27	539.28	13,353.59	513.60	12,717.71	489.14	12,112.10	465.85
	VDA	2233.20	85.89	2233.20	85.89	2233.20	85.89	2233.20	85.89
	Total	16,254.47	625.17	15,586.79	599.49	14,950.91	575.03	14,345.30	551.74
Junior Clerk, Booking Clerk Computer Operator, Typist Telephone Operator Data Entry Operator and Equivalent Job	Basic	12,746.61	490.25	12,139.63	466.91	11,561.55	444.68	11,011.00	423.50
	VDA	2233.20	85.89	2233.20	85.89	2233.20	85.89	2233.20	85.89
	Total	14,979.81	576.14	14,372.83	552.80	13,794.75	530.57	13,244.20	509.39
Servant, Watchman, Lift Operator, Office Boy Attender, Helper, Dalayat, Mazdoor, Sweeper and Equivalent Job	Basic	11,587.83	445.69	11,036.03	424.46	10,510.50	404.25	10,010.00	385.00
	VDA	2233.20	85.89	2233.20	85.89	2233.20	85.89	2233.20	85.89
	Total	13,821.03	531.58	13,269.23	510.35	12,743.70	490.14	12,243.20	470.89

LIST OF SCHEDULED EMPLOYMENTS MINIMUM WAGES FIXED

Heavy Vehicle Drivers Tractor Drivers Multi Axel and Heavy Vehicle Drivers	Basic	14,021.27	539.28	13,353.59	513.60	12,717.71	489.14	12,112.10	465.85
Earth Movers Drivers	VDA	2233.20	85.89	2233.20	85.89	2233.20	85.89	2233.20	85.89
Assembled Crane Drivers	Total	16,254.47	625.17	15,586.79	599.49	14,950.91	575.03	14,345.30	551.74
Tractor Drivers Road Roller and Road Constructing Vehicle Drivers	Basic	12,746.61	490.25	12,139.63	466.91	11,561.55	444.68	11,011.00	423.50
Car Driver	VDA	2233.20	85.89	2233.20	85.89	2233.20	85.89	2233.20	85.89
Jeep Driver	Total	14,979.81	576.14	14,372.83	552.80	13,794.75	530.57	13,244.20	509.39
Light Vehicle Drivers	Basic	11,587.83	445.69	11,036.03	424.46	10,510.50	404.25	10,010.00	385.00
Tum Tum Three Wheel Vehicle Drivers	VDA	2233.20	85.89	2233.20	85.89	2233.20	85.89	2233.20	85.89
	Total	13,821.03	531.58	13,269.23	510.35	12,743.70	490.14	12,243.20	470.89

Zone-I: Notified Areas under Bruhat Bangalore Mahanagara Palike.

Zone-II: ALL Notified Areas under Bruhat Bangalore Mahanagara Palike other than the areas mentioned in Zone - I

Zone-III: All District Places other than Areas Notified in Zone-I & Zone II.

Zone-IV: All other parts of the State other than Areas Notified in Zone-I, Zone II & Zone III.

VDA: In addition to the Basic wages, all Category of employees in the State shall be paid VDA @4 paise per point over and above 6537 points.

PRESS NOTE


The Commissioner of Labour, Telangana, Hyderabad & the Competent Authority under the Minimum Wages Act, 1948, has declared the average State Industrial Workers Consumer Price Index Numbers for the half year ending Dec, 2021 as follows:-

Part-I (Industrial Workers) : Increase of 32 points from 1595 to 1627

Part-II(Agricultural Workers):Increase of 34 points from 1194 to 1228

These are applicable for the period from 01.04.2022 to 30.09.2022 in various Scheduled Employments notified under the Minimum Wages Act, 1948, in the State of Telangana for the purpose of calculation of Variable Dearness Allowance.

Yours faithfully
Sd/- Ahmad Nadeem
Commissioner of Labour


Assistant Commissioner of Labour

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत

दिनांक 01.04.2022 से प्रभावशील

न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील

महँगाई भत्ते की दरें



कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

नवा रायपुर, अटल नगर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक / आठ / न्यूवे0 / श्र0आ0 / 2022 / 1897


नवा रायपुर, दिनांक – 25.03.2022

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सह पठित श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 3761 / 613 / 16-ए / 82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं **अमृत कुमार खलखो**, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर एतद् द्वारा कृषि नियोजन के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया है जिसके अनुसार जुलाई 2021 से दिसम्बर 2021 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :-

माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)	माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)
जनवरी 2021	1038	जुलाई 2021	1061
फरवरी 2021	1037	अगस्त 2021	1066
मार्च 2021	1035	सितम्बर 2021	1067
अप्रैल 2021	1041	अक्टूबर 2021	1081
मई 2021	1049	नवम्बर 2021	1092
जून 2021	1057	दिसम्बर 2021	1097
कुल	$\frac{6257}{6} = 1042.83$ (1043)	कुल	$\frac{6464}{6} = 1077.33$ (1077)

इनका औसत **1077** घोषित करता हूँ, जो कि **अनुसूची- "क"** कृषि नियोजन के श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4 / 2016 / 16, दिनांक 29.03.2017 द्वारा परिवर्तनशील महँगाई भत्ता देय है।


(अमृत कुमार खलखो)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

कृषि नियोजन (भाग-दो) में नियोजित श्रमिकों के लिये दिनांक
01.04.2022 से 30.09.2022 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील महँगाई भत्ते
की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 द्वारा कृषि नियोजन भाग-दो में नियोजित श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1986-87=100) 852 (जनवरी-जून 2016) को आधार मानकर संबद्ध की गई है।

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2022/1897, दिनांक 25.03.2022 के अनुसार जुलाई 2021 से दिसम्बर 2021 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1077 रहा है, जिसके परिणामस्वरूप गत छःमाही के अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 1043 (1986-87=100 जनवरी 2021 से जून 2021 के आधार आँकड़े) के ऊपर 34 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई औसत वृद्धि 34 बिन्दु पर प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 05 रुपये के मान से परिवर्तनशील महँगाई भत्ता देय होगा। परिणामस्वरूप 05 रुपये प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से प्रतिमाह रुपये 170 या प्रतिदिन रुपये 5.67 (30 दिन के मान से) परिवर्तनशील महँगाई भत्ता दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक देय है। (अनुसूची-"क")

(अमृत कुमार खलखो)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची-“क”

कृषि में नियोजन (भाग- “दो”)

(दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक)

आकड़े रूपये में

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन		श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महँगाई भत्ता		कुल वेतन	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन (पूर्णांक)		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन (पूर्णांक)
दिनांक 01.10.2021 से 31.03.2022							दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6900.00	230.00	955.00	31.83	7855.00	261.83 (262)	अकुशल कृषि श्रमिक	6900.00	230.00	1125.00	37.50	8025.00	267.50 (268)



(अमृत कुमार खलखो)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

स्पष्टीकरण

1. मासिक मजदूरी पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
2. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दर से अधिक हैं तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी।
3. इस अधिसूचना के अन्तर्गत वेतन दरें महिला एवं पुरुषों के लिए एक समान नियत हैं।
4. कृषि नियोजन के अतिरिक्त सभी नियोजनों के लिए लिये निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी की दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।



(अमृत कुमार खलखो)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक/आठ/न्यूवे0/श्र0आ0/2022/ 1898


नवा रायपुर, दिनांक- 25.03.2022

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सह पठित श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं अमृत कुमार खलखो, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया है जिसके अनुसार जुलाई 2021 से दिसम्बर 2021 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :-

माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001 = 100)	माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001 = 100)
जनवरी 2021	340	जुलाई 2021	354
फरवरी 2021	343	अगस्त 2021	354
मार्च 2021	344	सितम्बर 2021	355
अप्रैल 2021	346	अक्टूबर 2021	360
मई 2021	347	नवम्बर 2021	362
जून 2021	351	दिसम्बर 2021	361
कुल	$\frac{2071}{6} = 345.16$ (345)	कुल	$\frac{2146}{6} = 357.66$ (358)

इनका औसत 358 घोषित करता हूँ, जो कि परिशिष्टित अधिसूचित सामान्य नियोजन (भाग-एक) के श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 01.05.2017 में प्रकाशित परिशिष्टित अधिसूचित सामान्य नियोजनों (भाग-एक) परिशिष्ट "अ" के श्रमिकों को दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक परिवर्तनशील महँगाई भत्ता देय है।


(अमृत कुमार खलखो)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16


अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग-एक में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में

विवरणात्मक टीप

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 01.05.2017 द्वारा अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग-एक में नियोजित श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 271 (जनवरी-जून 2016) 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई है।

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2022/1898, दिनांक 25.03.2022 के अनुसार जुलाई 2021 से दिसम्बर 2021 तक की अवधि में औद्योगिक श्रमिकों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 358 रहा है, जिसके कारण गत छ:माही के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 345.00 (2001=100 जनवरी 2021 से जून 2021 के आधार आँकड़े) के ऊपर (358-345) 13 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 01.05.2017 के अनुसार अधिसूचित सामान्य नियोजन भाग-एक में नियोजित श्रमिकों को देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना लेबर ब्यूरो द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 271 (जनवरी-जून 2016) 2001=100 के आंकड़ों के उपर प्रति छ:माही में हुई औसत वृद्धि पर प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 20 रुपये के मान से देय होगा। परिणामस्वरूप 20 रुपये प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से प्रतिमाह रुपये 260 या प्रतिदिन रुपये 10 (26 दिन के मान से) परिवर्तनशील महंगाई भत्ता दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक देय है। (अनुसूची - "ख")

वित्त विभाग, के पत्र क्रमांक/303/आर/577/92/नि-5/4 दिनांक 30 जून, 1992 तथा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं अमृत कुमार खलखो, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर एतद् द्वारा परिशिष्ट-"अ" के 45 अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों तथा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के लिये अनुसूची- ख एवं "ग" के अनुसार निर्धारित करता हूँ जो दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक देय है।



(अमृत कुमार खलखो)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिशिष्ट- "अ"

अनुसूचित सामान्य नियोजन (भाग-"एक")

क्र०	नियोजन का नाम
01	पावर प्लांट में नियोजन
02	स्टील प्लांट में नियोजन
03	स्पंज आयरन में नियोजन
04	रोलिंग मिल में नियोजन
05	कास्टिंग उद्योग इंडस्ट्रीज में नियोजन
06	सीमेंट फैक्ट्री
07	सुरक्षा गार्ड में नियोजन
08	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में नियोजन
09	स्टोन क्रेशिंग में नियोजन
10	पत्थर पीसने एवं तोड़ने वाले नियोजन
11	ईट भट्ठा में नियोजन
12	चूना भट्ठा में नियोजन
13	टाईल्स जिसमें मंगलोर टाईल्स, इलाहाबाद टाईल्स तथा अन्य स्थानीय नाम से प्रचलित टाईल्स सम्मिलित हैं, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाईल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन
14	पाटरीज जिसमें रिफ्रेक्ट्रीज सामान, फायरब्रिक्स, सेनेटरी वेअर्स, इन्सूलेटर्स, टाईल्स (सीमेंट से निर्मित टाईल्स का छोड़कर) स्टोन वेअर्स पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग, ब्रिक्स तथा अन्य सिरेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन
15	सीमेंट पोल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पादन में नियोजन
16	मार्गों के निर्माण तथा अनुरक्षण या भवन एवं निर्माण कार्यों में नियोजन
17	इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
18	सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन
19	वन उपज एवं वन लगाने में नियोजन तथा नर्सरी
20	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन
21	किसी दुकान, वाणिज्यिक संस्थान आवासीय होटल, रेस्टोरेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन
22	शैक्षणिक संस्थान एवं निजी प्रशिक्षण केन्द्र में नियोजन

23	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, पैथालॉजी में नियोजन
24	विक्रय सर्वर्धन कर्मकार (सेल्स प्रमोशन कर्मकार)
25	किसी मुद्रणालय में नियोजन
26	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प/गैस वितरण केन्द्र एवं गोडाउन में नियोजन
27	साल्वेट प्लांट तथा रिफाइनरी में नियोजन
28	किसी तेल मिल में नियोजन
29	केमिकल्स तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
30	हमाल, तौलैया, कुली रेजा एवं मण्डी श्रमिक
31	किसी चावल मिल आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
32	किसी मुरा, पोहा निर्माणी में नियोजन
33	खाद्य पदार्थ जिसमें केक्स, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईसक्रीम, आईसकेण्डी सम्मिलित है एवं पेयक निर्माण में नियोजन
34	खांडसारी उद्योग/चीनी मिल में नियोजन
35	किसी आरा मिल में नियोजन/वुड वर्क
36	प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
37	फयूल कोक में नियोजन
38	पावरलूम जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है, में नियोजन
39	कोसा उद्योग में नियोजन
40	हाथ करघा उद्योग में नियोजन
41	कंबल निर्माण कार्य में नियोजन
42	बोन मिल में नियोजन
43	लोक मोटर परिवहन में नियोजन
44	पोल्ट्री फार्म में नियोजन
45	किसी विनिर्माणी प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 "के" परिभाषित की गई, चलाई जाती हैं, जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आती हैं, में नियोजन

(भाग-दो)

01.	कृषि में नियोजन
-----	-----------------

1. अगरबत्ती उद्योग।
2. किसी तम्बाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन

परिशिष्ट "ब" (स्पष्टीकरण)

1. इस अधिसूचना द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कैलेण्डर मास की समाप्ति पर देय होगा। यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित कैलेण्डर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी सन्दर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा।
2. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिये न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।
3. अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल तथा उच्च कुशल कर्मचारी की सामान्य परिभाषा निम्नानुसार है :-

"अकुशल कर्मचारी" वह है, जो ऐसे सरल कार्य करता है जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। यद्यपि व्यावसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल व सेवाओं से परिचित होना अपेक्षित है।

"अर्द्धकुशल कर्मचारी" वह है, जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का कार्य करता हो, जिसमें कि उसके अधिक निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किन्तु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हों, इस प्रकार उसका कार्य रोजमर्रा के एक जैसे समान कार्य करने तक ही सीमित है।

"कुशल कर्मचारी" वह है, जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। उसे उस व्यवसाय, शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना अपेक्षित है।

"उच्च कुशल कर्मचारी" वह है, जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो। काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर सके एवं तकनीकी डिग्री या डिप्लोमा धारी हो। उसे उस व्यवसाय, तकनीकी शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है।

4. उक्त अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि प्रचलित वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी।
5. किसी भी स्थापना या उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है, यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिये पात्र होंगे।
6. उक्त अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
7. जहां कर्मचारी खण्डदर पर नियोजित हो वहां खण्डदर इस प्रकार निर्मित की जावे, जो आठ घंटे दैनिक एवं छह दिन कार्य करने तथा एक दिन सवैतनिक अवकाश देने पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो।
8. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को पूर्णांक करके दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जाएगी। पचास पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और पचास पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
9. यदि एक से अधिक नियोजनों में एक ही स्वरूप का कार्य होता है तो कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर दरें देय होंगी। कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं वे उदाहरण स्वरूप हैं न की विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं के लिये न्यूनतम वेतन की दरें वही होंगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है। श्रमिकों एवं कर्मचारियों के श्रेणी/वर्ग का वर्गीकरण छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2016/16, दिनांक 29.03.2017 में दर्शित है।



(अमृत कुमार खिलखो)
 श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
 न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
 छत्तीसगढ़, रायपुर

जोन का विवरण

जोन "अ" –


- नगर पालिक निगम रायपुर, दुर्ग, भिलाई, भिलाई-चरोदा एवं बीरगांव सीमा के भीतर एवं नगर पालिक निगम सीमा से 16 कि.मी. तक का क्षेत्र।
- राज्य के समस्त औद्योगिक क्षेत्र एवं औद्योगिक विकास केन्द्र।
- अटल नगर, जिला-रायपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र।
- प्रदेश में स्थित ऐसे समस्त कारखानें जिनके द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत 300 या उससे अधिक श्रमिकों के लिए अनुज्ञप्ति ली गयी है।

जोन "ब" –

- नगर पालिक निगम राजनांदगांव, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर, चिरमिरी एवं धमतरी नगर पालिक निगम सीमा के भीतर एवं नगर निगम सीमा से 8 कि.मी. तक का क्षेत्र।

जोन "स" –

- जोन "अ" एवं "ब" में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर।


(अमृत कुमार खलखो)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर


अनुसूची-“ख”
अनुसूचित नियोजन भाग-एक के 45 नियोजन

(दिनांक 01.10.2021 से 31.03.2022 तक)

(दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक)

क्र.	श्रमिकों का वर्ग	जो न कानाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन रूपये में		जो न कानाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन रूपये में	
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	अकुशल	अ	8320.00	320.00	1480.00	56.92	9800.00	376.92 (377)	अ	8320.00	320.00	1740.00	66.92	10060.00	386.92 (387)
		ब	8060.00	310.00	1480.00	56.92	9540.00	366.92 (367)	ब	8060.00	310.00	1740.00	66.92	9800.00	376.92 (377)
		स	7800.00	300.00	1480.00	56.92	9280.00	356.92 (357)	स	7800.00	300.00	1740.00	66.92	9540.00	366.92 (367)
2	अर्द्धकुशल	अ	8970.00	345.00	1480.00	56.92	10450.00	401.92 (402)	अ	8970.00	345.00	1740.00	66.92	10710.00	411.92 (412)
		ब	8710.00	335.00	1480.00	56.92	10190.00	391.92 (392)	ब	8710.00	335.00	1740.00	66.92	10450.00	401.92 (402)
		स	8450.00	325.00	1480.00	56.92	9930.00	381.92 (382)	स	8450.00	325.00	1740.00	66.92	10190.00	391.92 (392)
3	कुशल	अ	9750.00	375.00	1480.00	56.92	11230.00	431.92 (432)	अ	9750.00	375.00	1740.00	66.92	11490.00	441.92 (442)
		ब	9490.00	365.00	1480.00	56.92	10970.00	421.92 (422)	ब	9490.00	365.00	1740.00	66.92	11230.00	431.92 (432)
		स	9230.00	355.00	1480.00	56.92	10710.00	411.92 (412)	स	9230.00	355.00	1740.00	66.92	10970.00	421.92 (422)
4	उच्च कुशल	अ	10530.00	405.00	1480.00	56.92	12010.00	461.92 (462)	अ	10530.00	405.00	1740.00	66.92	12270.00	471.92 (472)
		ब	10270.00	395.00	1480.00	56.92	11750.00	451.92 (452)	ब	10270.00	395.00	1740.00	66.92	12010.00	461.92 (462)
		स	10010.00	385.00	1480.00	56.92	11490.00	441.92 (442)	स	10010.00	385.00	1740.00	66.92	11750.00	451.92 (452)

टीप : न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट-“अ” तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट-“ब” में देखें।


 (अमृत कुमार खलखो)
 श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
 न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
 छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची-“ग”

विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक न्यूनतम वेतन तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता।
(दिनांक 01.10.2021 से 31.03.2022 तक) (दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक)

क्र.	श्रमिकों का वर्ग	जोन का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन रूपये में		जोन का नाम	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन रूपये में	
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	अकुशल	अ	8320.00	277.33	1480.00	49.33	9800.00	326.67 (327)	अ	8320.00	277.33	1740.00	58.00	10060.00	335.33 (335)
		ब	8060.00	268.67	1480.00	49.33	9540.00	318.00 (318)	ब	8060.00	268.67	1740.00	58.00	9800.00	326.67 (327)
		स	7800.00	260.00	1480.00	49.33	9280.00	309.33 (309)	स	7800.00	260.00	1740.00	58.00	9540.00	318.00 (318)
2	अर्द्धकुशल	अ	8970.00	299.00	1480.00	49.33	10450.00	348.33 (348)	अ	8970.00	299.00	1740.00	58.00	10710.00	357.00 (357)
		ब	8710.00	290.33	1480.00	49.33	10190.00	339.67 (340)	ब	8710.00	290.33	1740.00	58.00	10450.00	348.33 (348)
		स	8450.00	281.67	1480.00	49.33	9930.00	331.00 (331)	स	8450.00	281.67	1740.00	58.00	10190.00	339.67 (340)
3	कुशल	अ	9750.00	325.00	1480.00	49.33	11230.00	374.33 (374)	अ	9750.00	325.00	1740.00	58.00	11490.00	383.00 (383)
		ब	9490.00	316.33	1480.00	49.33	10970.00	365.67 (366)	ब	9490.00	316.33	1740.00	58.00	11230.00	374.33 (374)
		स	9230.00	307.67	1480.00	49.33	10710.00	357.00 (357)	स	9230.00	307.67	1740.00	58.00	10970.00	365.67 (366)
4	उच्च कुशल	अ	10530.00	351.00	1480.00	49.33	12010.00	400.33 (400)	अ	10530.00	351.00	1740.00	58.00	12270.00	409.00 (409)
		ब	10270.00	342.33	1480.00	49.33	11750.00	391.67 (392)	ब	10270.00	342.33	1740.00	58.00	12010.00	400.33 (400)
		स	10010.00	333.67	1480.00	49.33	11490.00	383.00 (383)	स	10010.00	333.67	1740.00	58.00	11750.00	391.67 (392)

टीप : इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट-“ब” में देखें।



(अमृत कुमार खलखो)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक / आठ / न्यू0वे0 / श्र0आ0 / 2022 / 1899

नवा रायपुर, दिनांक – 25.03.2022


// अधिसूचना //

अगरबत्ती उद्योग

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर को श्रम विभाग, की अधिसूचना क्रमांक/3761/ 613 /16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं **अमृत कुमार खलखो** श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर, विगत जुलाई 2021 से दिसम्बर 2021 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करता हूँ :-

माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)	माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87 = 100)
जनवरी 2021	1576	जुलाई 2021	1637
फरवरी 2021	1587	अगस्त 2021	1640
मार्च 2021	1595	सितम्बर 2021	1644
अप्रैल 2021	1601	अक्टूबर 2021	1665
मई 2021	1608	नवम्बर 2021	1676
जून 2021	1623	दिसम्बर 2021	1672
कुल	$\frac{9590}{6} = 1598.33$ (1598)	कुल	$\frac{9934}{6} = 1655.67$ (1656)

अतः विगत छः माहों का औसत **1656** घोषित करता हूँ, जो कि अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-10-4/2016/16 दिनांक 06.10.2018 के द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन एवं तदानुसार निर्दिष्ट परिवर्तनशील महँगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक देय है।



(अमृत कुमार खलखो)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

अगरबत्ती उद्योग

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर का अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2022/1899, दिनांक 25.03.2022 के अनुसार जुलाई 2021 से दिसम्बर 2021 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1656 रहा है। इस प्रकार अगरबत्ती उद्योग में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण के संबंध में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1285 (2001=100) के आधार आँकड़ों के ऊपर जुलाई 2021 से दिसम्बर 2021 तक की अवधि 371 औसत बिन्दुओं (1656-1285=371 पाईट) की वृद्धि हुई है। उक्त के परिणामस्वरूप अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता 1.25 पैसे (सवा पैसे) प्रति बिन्दु प्रति एक हजार अगरबत्ती बनाने के लिये 4.64 रूपये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता एवं तदनुरूप अगरबत्ती उद्योग के अन्य वर्गों के लिए निर्धारित प्रति बिन्दु दर अनुसार परिवर्तनशील महँगाई भत्ता दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक देय है।

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-4/2016/16 दिनांक 06.10.2018 के अन्तर्गत अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है। अतः अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को अनुसूची "ई" अनुसार परिवर्तनशील महँगाई भत्ता दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक देय है।


(अमृत कुमार खलखो)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची - "ई"

क्र०	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित मूल वेतन दरें	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित महँगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
अ.	अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर)	रु० 26.96	पैसे 5 पैसा प्रति 4 हजार (रु. 4.64) (1.25 पैसे प्रति बिन्दु)	31.60
	साधारण सुगंधित (सेंटेड)	रु० 27.66	पैसे 5 पैसा प्रति 4 हजार (रु. 4.64) (1.25 पैसे प्रति बिन्दु)	32.30
आ.	निम्न वजन के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पैकेट में भरना, पैकेट के दोनो ओर चिट लगाकर पैकेट बंद करना।			
बिना सिलोफेन या जिलेटिन के				
1	10 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 22.05	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (रु. 3.71) (1 पैसा प्रति बिन्दु)	25.76
2	20 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 22.76	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (रु. 3.71) (1 पैसा प्रति बिन्दु)	26.47
3	30 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 22.76	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (रु. 3.71) (1 पैसा प्रति बिन्दु)	26.47
4	40 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 28.89	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 400 (रु. 4.64) (1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	33.53
5	70 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 38.79	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (रु. 6.20) (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	44.99
6	80 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 44.57	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (रु. 7.42) (2 पैसा प्रति बिन्दु)	51.99
7	100 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 45.87	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (रु. 7.42) (2 पैसा प्रति बिन्दु)	53.29
8	200 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 56.41	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 200 (रु. 9.28) (2.50 पैसा प्रति बिन्दु)	65.69
सिलोफेन या जिलेटिन के				
1	10 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 22.76	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (रु. 3.71) (1 पैसा प्रति बिन्दु)	26.47
2	20 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 28.37	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 400 (रु. 4.64) (1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	33.01
3	30 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 36.30	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (रु. 6.20) (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	42.50
4	40 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 37.05	पैसे 5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (रु. 6.20) (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	43.25

क्र०	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित मूल वेतन दरें	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित महँगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
5	70 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 39.15	पैसे (रु. 6.20) 5 पैसा प्रति बिन्दु 300 (1.67 पैसा प्रति बिन्दु)	45.35
6	80 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 45.87	पैसे (रु. 7.42) 5 पैसा प्रति बिन्दु 250 (2 पैसा प्रति बिन्दु)	53.29
7	100 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 54.99	पैसे (रु. 9.28) 5 पैसा प्रति बिन्दु 200 (2.50 पैसा प्रति बिन्दु)	64.27
8	200 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा	रु० 57.81	पैसे (रु. 9.28) 5 पैसा प्रति बिन्दु 200 (2.50 पैसा प्रति बिन्दु)	67.09

(इ) निम्नानुसार पुंगली बनाकर पैक करना निम्न संख्या में अगरबत्तियों को गिनकर झिल्ली लपेटना, पुंगलियों में भरकर, लेबल या सिलोफेन या जिलेटिन ब्राउन पेपर लगाकर बंद कर चिट लगाना।


बिना सिलोफेन या जिलेटिन के

1	10 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 18.29	पैसे (रु. 3.08) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 600(0.83 पैसा प्रतिबिन्दु)	21.37
2	12 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 18.96	पैसे (रु. 3.08) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 600(0.83 पैसा प्रतिबिन्दु)	22.04
3	23 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 22.73	पैसे (रु. 3.71) 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	26.44
4	50 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 23.46	पैसे (रु. 3.71) 5 पैसा प्रति बिन्दु 500 (1 पैसा प्रति बिन्दु)	27.17
5	100 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 28.37	पैसे (रु. 4.64) 5 पैसा प्रति बिन्दु 400(1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	33.01
6	200 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 30.11	पैसे (रु. 4.64) 5 पैसा प्रति बिन्दु 400(1.25 पैसा प्रति बिन्दु)	34.75

(ई) सारे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बंद करना :-

1	5 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 4.22	पैसे (रु. 0.74) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 2500 (0.20 पैसा प्रतिबिन्दु)	4.96
2	10 अगरबत्ती के लिये प्रति सैकड़ा	रु० 4.80	पैसे (रु. 0.82) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 2200 (0.22 पैसा प्रतिबिन्दु)	5.62
3	पुंगली बनाने के कागज प्रति सैकड़ा	रु० 7.32	पैसे (रु. 1.22) 5 पैसा प्रतिबिन्दु 1500 (0.33 पैसा प्रतिबिन्दु)	8.54 sss

अगरबत्ती उद्योग से संबद्ध कर्मचारी जैसे पेटी बनाने वाला, मिस्त्री, ड्राईवर, पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला, एकाउंट केशियर, गोडाउन कीपर, टाईपिस्ट, क्लर्क, भृत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन, कुशल, अर्द्धकुशल एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी की दरें 45 अधिसूचित सामान्य नियोजनों के लिए शासन द्वारा घोषित दरें ही प्रभावशील होंगी।




(अमृत कुमार खलखो)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

स्पष्टीकरण

1. अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील महँगाई भत्ता (व्ही0डी0ए0) जुलाई 2021 से दिसम्बर 2021 में औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके पश्चात् सूचकांक कहा जायेगा) 1285 (2001=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रति बिन्दु सम्मुख अंकित किये गए अनुसार दर से तथा मासिक दर पर कार्यरत् कर्मचारियों के लिये रूपये 1.25 पैसे प्रति बिन्दु प्रतिमाह की दर से संदेय होगा। जिसकी गणना प्रत्येक छः माह जनवरी से जून तथा जुलाई से दिसम्बर जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और क्रमशः 1 अप्रैल तथा 1 अक्टूबर से देय होगी। इस प्रकार से संगणित परिवर्तनशील महँगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में घोषित किया जावेगा।
2. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जावेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
3. निर्धारित मासिक मजदूरी कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगी, जहाँ मजदूरी की मासिक दर नियत की गई है, वहाँ यदि एक दिन की मजदूरी संगणित की जानी हो तो, मासिक मजदूरी को 26 से भाग देकर अभिप्राप्त की जावेगी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 13 में बताये गए अनुसार विश्राम दिवस का पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा।


(अमृत कुमार खलखो)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website-www.cglabour.gov.in, E-Mail ID- com-labour.cg@gov.in, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक / आठ / न्यू0वे0 / श्र0आ0 / 2021 / 7004

नवा रायपुर, दिनांक 29.09.2021

अधिसूचना

छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 3761 / 613 / 16-ए / 82, दिनांक 25.05.1982 के अनुशरण में, मैं अमृत कुमार खलखो श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया है जिसके अनुसार जुलाई 2020 से जून 2021 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :-

माह / वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960 = 100)
जुलाई 2020	7669.50
अगस्त 2020	7715.15
सितम्बर 2020	7763.77
अक्टूबर 2020	7855.76
नवम्बर 2020	7882.01
दिसम्बर 2020	7809.65
जनवरी 2021	7770.39
फरवरी 2021	7822.89
मार्च 2021	7862.38
अप्रैल 2021	7895.25
मई 2021	7928.12
जून 2021	8000.48
कुल	$\frac{93975.37}{12} = 7831.28$ (7831)

उपरोक्तानुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 7831 घोषित करता हूँ जो कि किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिए वार्षिक निर्वाह व्यय सूचकांक (एनवल एवरेज कास्ट लिव्हिंग इन्डेक्स नम्बर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-4/2016/16 दिनांक 06.10.2018 के द्वारा पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन एवं तदानुसार निर्दिष्ट परिवर्तनशील महँगाई भत्ता बीड़ी श्रमिकों को दिनांक 01.10.2021 से 30.09.2022 तक देय रहेगा।


(अमृत कुमार खिलखो)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू0वे0/श्र0आ0/2021/7004, दिनांक 29.09.2021 के अनुसार जुलाई 2020 से जून 2021 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 7831 रहा है। इस प्रकार किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में न्यूनतम वेतन पुनरीक्षण के संबंध में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6321 (1960=100) के आधार आंकड़ों के ऊपर जुलाई 2020 से जून 2021 तक की अवधि में 7831 (7831-6321=1510 पाईट) औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। उक्त के परिणामस्वरूप किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन के लिये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता 1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति हजार बीड़ी के मान से 15.10 रुपये परिवर्तनशील महँगाई भत्ता दिनांक 01.10.2021 से 30.09.2022 तक देय है। (अनुसूची "फ")

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-4/2016/16 दिनांक 06.10.2018 के अंतर्गत किसी तंबाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है, जो दिनांक 01.10.2021 से 30.09.2022 तक देय है।


(अमृत कुमार खलखो)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची "फ"

तम्बाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) विनिर्माण में नियोजन

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित मूल वेतन दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
1	2	3	4	5
1.	बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	रु0 96.24	15.10	रु0 111.34 प्रति हजार किंतु यदि श्रमिक का किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का योग रूपये 623.50 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना की परिशिष्ट में बताई गई शर्तों के अनुसार कम से कम रूपये 623.50 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा।
2.	रेलाई श्रमिक			
अ	बीड़ी के कट्टों पर झिल्ली लगाना			
1	लेबल चिपकाने तथा पुड़ों को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य	रु0 53.18 प्रति 1000 कट्टों पर	(रु. 7.55) एक पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार	60.73
2	यदि कट्टे पर दोनों ओर लेबल लगाया जाता है।	रु0 56.35 प्रति 1000 कट्टों पर	(रु. 7.55) एक पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार	63.90
ब.	झिल्ली एवं लेबल लगाने संबंधी कार्य			
1.	झिल्ली लेबल लगाना	रु0 48.06 प्रति 1000 कट्टों पर	(रु. 7.55) 1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति दो हजार	55.61
2.	झिल्ली लगाना	रु0 35.20 प्रति 1000 कट्टों पर	(रु. 5.66) 1.5 पैसे प्रति बिन्दु प्रति चार हजार	40.86
3.	लेबल लगाना	रु0 13.10 प्रति 1000 कट्टों पर	(रु. 1.89) 1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति आठ हजार	14.99
4.	पुड़ा बनाना या चिपकाना	रु0 13.44 प्रति 1000 कट्टों पर	(रु. 1.89) 1 पैसे प्रति बिन्दु प्रति आठ हजार	15.33
स.	एक हजार कट्टों पर जबकि 25 बीड़ियों का कट्टा हो			
1.	आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो	रु0 198.88 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर	(रु. 30.20) 2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर	229.08
2.	झिल्ली आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो	रु0 216.02 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर	(रु. 30.20) 2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर	246.22
3.	झिल्ली तथा नक्शी झिल्ली लगाने का कार्य हो	रु0 216.02 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर	(रु. 30.20) 2 पैसे प्रति बिन्दु प्रति लाख बीड़ी पर	246.22

नोट :-

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे, बीड़ी छॉटने तथा जाँच करने वाले, तंबाखू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाला, भट्टी वाला, रसोईया, ड्राइवर (भारी वाहन), हल्का वाहन, एकाऊंटेंट, मुनीम, कैशियर, गोडाउन कीपर, स्टोर कीपर, टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क, भृत्य, चौकीदार के वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार नियमित होंगे।

इस प्रयोजन के लिए उपर्युक्त कर्मकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा।

1. उच्च कुशल – ड्राइवर (चालक) (भारी वाहन) एकाऊंटेंट, डाटा एन्ट्री आपरेटर (कम्प्यूटर आपरेटर), मुनीम, कैशियर, हेड क्लर्क।
2. कुशल – स्टोर कीपर, ड्राइवर (हल्का वाहन), टाईपिस्ट, गोडाउन कीपर, क्लर्क, बिलमेन।
3. अर्ध कुशल – बीड़ी छॉटने या जाँच करने वाले, भट्टी वाला।
4. अकुशल – ट्रक से माल चढ़ाने व उतारने वाले या बीड़ीयों के पुड़ों के कार्य में लगा श्रमिक, भृत्य, श्रमिक।

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन की दरें 45 अधिसूचित सामान्य नियोजनों के लिए शासन द्वारा घोषित दरें ही प्रभावशील होंगी।

(अमृत कुमार खलखो)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर


EFFECTIVE WAGES OF BEEDI ROLLERS

Beedi Rolles (For Rolling of 1000 Beedies)

Effective from 01.10.2021 To 30.09.2022


V.D.A. Revisable Annually with Effect from 01.10.2021

No.	Perticular	Rs./P
1	Basic Wages	96.24
2	Variable Dearness Allowance	15.10
3	Leave With Salary (@ 5% of Total Wages)	5.57
4	Total Wages	116.91
5	Bonus (@8.33% of Total Wages	9.74
6	P.F. Contribution of Employer @ 10% of Total Wages	11.69
7	Total	138.34
8	Less P.F.Contribution of Employer (@10% of Total Wages)	11.69
9	Less P.F. Contribution of Employee (@10% of Total Wages)	11.69
10	Net Payable to Beedi Roller (7-(8+9)	114.95


(अमृत कुमार खलखो)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

स्पष्टीकरण

1. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वो किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में परिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित हैं।
2. परिवर्तनशील महँगाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ 4 में लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, 6321 (1960=100) पर आधारित है। 6321 सूचकांक के ऊपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तम्भ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 1 अक्टूबर से की जावेगी और स्तम्भ 4 में परिवर्तनशील महँगाई भत्ते में हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील महँगाई भत्ता मानी जावेगी। 1 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील महँगाई भत्ते की वृद्धि की गणना गत जुलाई से जून तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी जिसकी घोषणा अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजपत्र में समय-समय पर प्रकाशित की जावेगी।
3. निर्धारित मासिक वेतन केलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा।
4. जहां नियोजन प्रति सप्ताह 5600 बीड़ी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तंबाखू, तेंदूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीड़ी के लिए देय वेतन तथा विशेष महँगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारन्टेड वेज कहा जाएगा, प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
5. गारंटी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गए कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई बीड़ी का जो वेतन अर्जित करेगा, वह भी सम्मिलित होगा।
6. यदि कर्मचारी अन्य इच्छा से किसी भी कारणवश किसी दिन गारन्टेड वेज प्राप्त करने की मात्रा से भी कम वेतन अर्जित करता है तो कर्मचारी गारन्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
7. जो कर्मचारी दिये गए कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह 5600 बीड़ियों सप्ताह में बनाने के लिए पर्याप्त हो कि पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है तो वह गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
8. आग, विपत्ति महामारी, असैनिक क्षौभ या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है, यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता तो कर्मचारी वेज प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।


(अमृत कुमार खलखो)

श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड-तीन, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)
Website-www.cglabour.nic.in, E-Mail ID- com-labour.cg@gov.in, ☎ No. 0771-2443513,14,15,16

क्रमांक / आठ / न्यू0वे0 / श्र0आ0 / 2022 / 1900

नवा रायपुर, दिनांक 25.03.2022

प्रतिलिपि :-

1. उप नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) की ओर अधिसूचना की प्रति भेजते हुए निवेदन है कि इस अधिसूचना को (छत्तीसगढ़) राजपत्र के आगामी अंक के भाग 3(1) में प्रकाशित कर 20 प्रति इस कार्यालय का उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्र0 / 303 / आर / 577 / 97 / नि-514, दिनांक 30.06.1992 के संदर्भ में मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना अधीक्षण, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
6. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
7. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
8. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह, एवं जेल विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
9. पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ शासन, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
10. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ शासन नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
11. पुलिस महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवायें, रायपुर ।
12. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
13. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
14. सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
15. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग, मंत्रालय मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।

16. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
17. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन, आयाकट विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
18. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
19. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन व प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
20. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
21. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि, पशुपालन, मछलीपालन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
22. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
23. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
24. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
25. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
26. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
27. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
28. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
29. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन जन शिकायत निवारण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
30. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
31. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
32. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
33. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
34. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।

35. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
36. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
37. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
38. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
39. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन विमानन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
40. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन पर्यटन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
41. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
42. संचालक, पंचायत विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
43. संचालक, उद्यानिकी, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
44. संचालक, संपदा, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
45. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
46. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
47. आयुक्त, स्थानीय निधि संपरीक्षा, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
48. नियंत्रक, नाप-तौल विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
49. आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
50. विभागाध्यक्ष, मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
51. आयुक्त, लोक शिक्षण एवं सर्वशिक्षा अभियान, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
52. संचालक, विमानन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
53. आयुक्त, आदिवासी विकास एवं आदिम जाति विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
54. संचालक, ग्रामोद्योग, रेशम, हाथकरघा, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
55. पंजीयक, सहकारी संस्थायें, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
56. आयुक्त, पेंशन कोष एवं लेखा, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
57. संचालक, लोक अभियोजन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।

58. संचालक, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
59. नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
60. आयुक्त, परिवहन विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
61. संचालक, कृषि विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
62. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
63. विकास आयुक्त कार्यालय, विकास भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
64. संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, विकास भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
65. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), विकास भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
66. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
67. संचालक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
68. पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर , छत्तीसगढ़ ।
69. संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
70. संचालक, पशुचिकित्सा सेवाएं, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
71. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
72. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
73. संचालक, मत्स्योद्योग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर ।
74. मुख्य तकनीकी परीक्षक एवं सतर्कता, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर ।
75. अधीक्षण अभियंता (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर ।
76. संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर ।
77. संचालक, जनसम्पर्क छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर छत्तीसगढ़ के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
78. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सेक्टर -19 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर ।
79. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेक्टर -19 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर ।
80. आयुक्त, वाणिज्यिक विभाग, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
81. संचालक, सैनिक कल्याण, सेक्टर -19 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर ।
82. नियंत्रक, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ ।

83. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
84. सचिव, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर ।
85. आयुक्त एवं अध्यक्ष हसदेव आयाकट विकास प्राधिकरण, रायपुर ।
86. महालेखाकार प्रथम एवं द्वितीय, जीरो प्वाईट, विधानसभा के पास, बलौदाबाजार रोड, रायपुर ।
87. संभाग आयुक्त, जिला-रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर एवं सरगुजा (राजस्व संभाग) ।
88. सचिव, राज्य महिला आयोग, गायत्री भवन-13, जलविहार कॉलोनी, रायपुर, जिला-रायपुर ।
89. सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर, जिला-रायपुर ।
90. सचिव, अनुसूचित जाति आयोग, साक्षरता चौक, सिविल लाईन, रायपुर ।
91. सचिव, अनुसूचित जनजाति आयोग, जल विहार कॉलोनी, तेलीबांधा, रायपुर ।
92. सचिव, अल्पसंख्यक आयोग, पुराना नर्सिंग हॉस्टल, डी.के.एस. हास्पिटल के पास, रायपुर ।
93. सचिव, बाल अधिकार संरक्षण अयोग, रायगढ़ बाड़ा, सिविल लाईन, रायपुर ।
94. सचिव, राज्य युवा आयोग, इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, रविशंकर यूनिवर्सिटी परिसर, रायपुर ।
95. सचिव, राज्य लोक सेवा आयोग, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर ।
96. सचिव, राज्य विद्युत नियामक आयोग, गौरव पथ, इंद्रावती कॉलोनी, रायपुर ।
97. संचालक प्रशासन अकादमी, धमतरी रोड, ग्राम-निमोरा, रायपुर, जिला-रायपुर ।
98. सचिव, राजस्व मण्डल, नेहरू नगर, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर ।
99. संचालक उद्योग, उद्योग भवन, रिंग रोड नं., तेलीबांधा, रायपुर ।
100. संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व, महंत घासीदास संग्रहालय, राजभवन के पास, रायपुर ।
101. पुलिस महानिरीक्षक, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो, जी0ई0रायपुर ।
102. संचालक, राज्य फोरेंसिक लैब, पुलिस लाईन रायपुर, जिला- रायपुर ।
103. आयुक्त, खेल एवं युवा कल्याण, रविशंकर यूनिवर्सिटी परिसर, रायपुर छत्तीसगढ़ ।
104. आयुक्त, विभागीय जांच, पुराना मंत्रालय, के पास, रायपुर, जिला-रायपुर ।
105. संचालक, राष्ट्रीय कैडेट कोर, अनुपम गार्डन, आयुर्वेदिक कालेज के पास, रायपुर ।
106. संचालक, मेडिकोलीगल संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
107. संचालक, राज्य कृषक प्रशिक्षण अकादमी, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
108. परि.प्रशासक, कार्यालय मुख्य अभियंता एवं अध्यक्ष, महानदी आयाकट विकास प्राधिकरण, रायपुर ।
109. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, डी.के.एस. हास्पिटल के पास, रायपुर छत्तीसगढ़ ।
110. संचालक, आयुष, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
111. संचालक, जनगणना निदेशालय रायपुर ।

112. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं एवं मिशन संचालक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पंडरी रोड, देवेन्द्र नगर, रायपुर।
113. समस्त जिलाध्यक्ष, छत्तीसगढ़।
114. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छत्तीसगढ़।
115. उप संचालक, राजभाषा, रायपुर छत्तीसगढ़।
116. आयुक्त, अल्प बचत एवं राज्य लाटरी, कलेक्ट्रेट परिसर, रायपुर, छत्तीसगढ़।
117. मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, रायपुर, छत्तीसगढ़।
118. संचालक, अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, व्ही. आई. पी. रोड, रायपुर छत्तीसगढ़।
119. प्रभारी अधीक्षक, स्टेट गैरेज, काली माता मंदिर चौक, सिविल लाईन रायपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़।
120. पंजीयक, राज्य औद्योगिक न्यायालय, छत्तीसगढ़, रायपुर।
121. समस्त पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, रायपुर क्रमांक-1 एवं 2, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, अम्बिकापुर, जगदलपुर, धमतरी, जांजगीर-चांपा।
122. कुल सचिव, गुरु घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
123. कुल सचिव, पं० रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
124. कुल सचिव, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़, छत्तीसगढ़।
125. कुल सचिव, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, रायपुर छत्तीसगढ़।
126. कुल सचिव, पं० सुन्दर लाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
127. कुल सचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
128. कुल सचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर छत्तीसगढ़।
129. कुल सचिव, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, छत्तीसगढ़।
130. कुल सचिव, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
131. कुल सचिव, आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।
132. कुल सचिव, हिदायतउल्ला नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
133. सचिव, उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
134. सचिव, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
135. सचिव, राज्य अनुसूचित जाति प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
136. सचिव, राज्य ग्रामीण विकास प्राधिकरण, रायपुर, छत्तीसगढ़।
137. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वनौषधि बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
138. प्रबंध संचालक, राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़।
139. प्रबंधक संचालक, राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़।
140. पंजीयक, राज्य सहकारी विपणन बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
141. प्रबंधक संचालक, राज्य वन विकास निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़।

142. प्रबंधक संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़।
143. प्रबंधक संचालक, अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, रायपुर, (छ0ग0)।
144. कार्यपालन अधिकारी, राज्य वक्फ बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
145. सचिव, मदरसा बोर्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़।
146. कार्यपालन अधिकारी, राज्य हज कमेटी, रायपुर, छत्तीसगढ़।
147. प्रबंध संचालक, पर्यटन मंडल, द्वितीय तल, उद्योग भवन, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़।
148. प्रबंध संचालक, राज्य भण्डार गृह निगम, रायपुर, छत्तीसगढ़।
149. आयुक्त, गृह निर्माण मण्डल, रायपुर, छत्तीसगढ़।
150. प्रबंध संचालक, राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर, छत्तीसगढ़।
151. प्रबंध संचालक, पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।
152. प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित छ0ग0 खादी ग्रामोद्योग न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर।
153. प्रबंध संचालक सी.एस.आई.डी.सी. नगर घड़ी चौक, रायपुर।
154. प्रबंध संचालक, कार्यालय छ0ग0 स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन पंडरी रायपुर।
155. कार्यपालिक निदेशक छ0ग0 राज्य बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, रायपुर।
156. मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ0ग0 राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण रायपुर।
157. प्रबंध संचालक, छ0ग0 हस्तशिल्प विकास बोर्ड रायपुर।
158. प्रबंध संचालक आयुक्त छ0ग0 इन्फ्रास्ट्रचर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर।
159. सचिव, छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम्, रोहणीपुरम्, रिंग रोड, डीडी नगर, रायपुर।
160. उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), अवंति विहार, रायपुर।
161. क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, समता कॉलोनी, रायपुर।
162. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर।
163. इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड, जीवन प्रकाश, जीवन बीमा मार्ग, पंडरी, रायपुर।
164. कल्याण आयुक्त, श्रम कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर।
165. समस्त अपर श्रमायुक्त एवं उप श्रमायुक्त, मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर।
166. सहायक श्रमायुक्त— रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़।
167. श्रम पदाधिकारी—राजनांदगांव, धमतरी, जगदलपुर, जांजगीर—चांपा, महासमुंद, अम्बिकापुर, कवर्धा, बालोद, बलौदाबाजार, कोण्डागांव, गरियाबंद, कांकेर, मुंगेली, दंतेवाड़ा, जशपुर, सूरजपुर, बेमेतरा, कोरिया, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, बलरामपुर, गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही।

168. प्रभारी अधिकारी, समस्त शाखाएँ, कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, अटल नगर, जिला-रायपुर।
169. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगांव, कोरबा एवं इण्डस्ट्रीयल हाईजिन लैब रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
170. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, रायपुर की ओर निःशुल्क प्रसारणार्थ।
171. केन्द्र अभियंता, दूरदर्शन अनुरक्षण केन्द्र, रायपुर की ओर निःशुल्क प्रसारणार्थ।



(अमृत कुमार खलखो)
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़

खण्ड-03, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ0ग0)
E-Mail ID- cglc2012@gmail.com, ☎ No.-0771-2443514, Fax No.-0771-2443516

क्रमांक / आठ / न्यू0वे0 / श्र.आ. / 2022 / 1901

दिनांक- 25.03.2022

प्रति,


.....
.....
.....
.....

विषय :- दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक प्रभावशील न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत दिनांक 01.04.2022 से न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें निर्धारित की गई है, जिसकी पुस्तिका संलग्न प्रेषित है। उपरोक्त न्यूनतम मजदूरी की दरें श्रम विभाग की वेबसाईट www.cglabour.nic.in पर भी उपलब्ध है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(डी0पी0 सिवासी)
उप श्रमायुक्त
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर



શ્રમ આયુક્તની કચેરી, ગુજરાત રાજ્ય,
બ્લોક નં-૧૧, ૧૨ અને ૧૪, બીજો માળ,
ઉદ્યોગ ભવન, સેક્ટર-૧૧, ગાંધીનગર
ફોન. ૦૭૯૨૩૨૫૩૯
ફેક્સ ૦૭૯૨૩૨૫૭૫૧૩
Web: www.col.gujarat.gov.in

ક્રમાંક:શ્ર.આ.૬/ટે.૩/૨૦૧ થી ૩૦૧ /૨૦૨૨

તા:- ૩૧/૦૩/૨૦૨૨

પ્રતિ,

- (૧) અધિક શ્રમ આયુક્તશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર.
- (૨) નાયબ શ્રમ આયુક્તશ્રી અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ (તાબાની કચેરીઓને પરિપત્રિત કરવા સારૂ)
- (૩) કચેરીની સર્વે શાખાઓ, ૧,૨,૩,૪,૫,૬,૭,૮,૯,૧૦,૧૧,૧૨,ખાસ સેલ. બી.ઓ.સી.ડબલ્યુ અને આઈ.ટી.સેલ.
- (૪) શાખાની સિલેક્ટ ડ્રાઈલ/ પરિપત્ર ડ્રાઈલ

શ્રમ આયુક્ત,

ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર

લઘુત્તમ વેતન અધિનિયમ, ૧૯૪૮ હેઠળના ખાસ ભથ્થાની જાહેરાત.

લઘુત્તમ વેતન અધિનિયમ, ૧૯૪૮ હેઠળ સરકારશ્રીએ જે તે વ્યવસાય માટે નિયત કરેલ મૂળ પગારના દર ઉપરાંત જીવન નિર્વાહ આંક ઉપર આધારિત આપવાના ખાસ ભથ્થાના દૈનિક દર હવે તા.૦૧-૦૪-૨૦૨૨ થી તા.૩૦-૦૯-૨૦૨૨ સુધીના સમય માટે નીચે મુજબ રહેશે.

ક્રમ	અનુસૂચિત રોજગારી/વ્યવસાય	ખાસ ભથ્થાના દૈનિક દર (રૂ. પૈસા)
૧	શીપ બ્રેકીંગ તથા સ્વીપીંગ અને કલીનીંગ કામની રોજગારી(વ્યવસાય)	રૂ.૮૮.૭૦ પૈસા
૨	અનુ. નં ૧ અને અગરબત્તી બનાવવાની રોજગારી સિવાયની દરેક રોજગારી (વ્યવસાય)	રૂ.૮૩.૩૦ પૈસા

આમ, અનુનં ૧ અને ૨ ની સામે દર્શાવેલ વ્યવસાયોમાં ઉપરોક્ત સમયગાળા દરમિયાનના ખાસ ભથ્થાના દૈનિક દર જાહેર કરવામાં આવે છે.

નાયબ શ્રમ આયુક્ત

અને લઘુત્તમ વેતન અધિનિયમ, ૧૯૪૮
અન્વયેના સક્ષમ અધિકારી, ગાંધીનગર

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आवर्त अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों को स्तम्भ-3 में सन्दर्भित शासनादेशानुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016=100 के अंक 301 के ऊपर वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते को ₹ 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किये जाने का प्राविधान है। तदनुसार जुलाई, 2021 से दिसम्बर, 2021 के औसत सूचकांक 358 पर दिनांक 01-04-2022 से 30-09-2022 तक की अवधि के लिए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नवत होगा :-

$$(358-301) \times 20 = 1140.00$$

अनुसूचित नियोजनों की तालिका

क्र० सं०	अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	अधिसूचना में उल्लिखित सभी श्रेणी के कर्मचारियों को देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता ₹०
1	2	3	4
1.	दाण्डिज्य अधिष्ठानों और उत्तराखण्ड में दुकानों के नियोजन	309/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
2.	सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण सक्रियाओं में नियोजन	310/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
3.	पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने में नियोजन।	311/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
4.	चिकन के कार्य में नियोजन।	तदैव	1140.00
5.	दियासलाई उद्योग में नियोजन।	तदैव	1140.00
6.	आइसक्रेन्डी/आईस्कीम विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	1140.00
7.	बैकरी और बिस्कुट विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	1140.00
8.	बर्फ विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	1140.00
9.	एस्बेस्टस सीमेंट कारखानों और अन्य सीमेंट उत्पाद विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	1140.00
10.	लाण्डी या धुलाई अधिष्ठानों में नियोजन	तदैव	1140.00
11.	जिल्दसाजी में नियोजन।	तदैव	1140.00
12.	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन।	तदैव	1140.00
13.	घाटरी सिरेमिक्स या रिफरैक्ट्रीज में नियोजन	तदैव	1140.00
14.	रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पादन (जिसके अन्तर्गत टायर और ट्यूब भी हैं) के उद्योग में नियोजन	312/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00

15.	प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पादन के उद्योग में नियोजन	तदैव	1140.00
16.	मिथान उद्योग में नियोजन	तदैव	1140.00
17.	वासित पेयों (एस्टेट ड्रिंक्स) के विनिर्माण में नियोजन	तदैव	1140.00
18.	फलों के रसों की विनिर्माणशाला में नियोजन	तदैव	1140.00
19.	परतदार लकड़ी (प्लाइवुड) के उद्योग में नियोजन	तदैव	1140.00
20.	पेट्रोल और डीजल आयल पम्प में नियोजन	तदैव	1140.00
21.	डरी और मिल्क डरीज में नियोजन	तदैव	1140.00
22.	सिले सिलाए कपड़ों की विनिर्माणशाला में नियोजन	तदैव	1140.00
23.	बांध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण सिंचाई परियोजनाओं, कुओं और तालाबों की खुदाई में नियोजन	तदैव	1140.00
24.	प्राइवेट क्लीनिक और चिकित्सा सामान की प्राइवेट दुकानों में नियोजन	तदैव	1140.00
25.	फाउण्ड्री उद्योग में नियोजन	तदैव	1140.00
26.	धातु उद्योग में नियोजन	तदैव	1140.00
27.	टिन प्लेट शीपिंग और टिन प्रिंटिंग उद्योग में नियोजन	तदैव	1140.00
28.	ऐसे अभिनियंत्रण उद्योग में नियोजन जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हो।	तदैव	1140.00
29.	उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।	तदैव	1140.00
30.	कपड़ा छपाई में नियोजन	313/VIII/19-228 (अम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
31.	कलबों में नियोजन	314/VIII/19-228 (अम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
32.	निजी मुद्रणालयों में नियोजन	315/VIII/19-228 (अम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
33.	लोक मोटर परिवहन में नियोजन	316/VIII/19-228 (अम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
34.	उत्तराखण्ड में यात्रिक परिवहन कर्मशाला में नियोजन।	तदैव	1140.00
35.	उत्तराखण्ड में आटोमोबाईल रिपेयर्स में नियोजन।	तदैव	1140.00

36.	सिनेमा उद्योग में नियोजन।	317/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
37.	सिलाई उद्योग में नियोजन	318/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
38.	एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी फार्मसियों में नियोजन	319/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
39.	छोटा मिनियेचन बल्ब एवं कांच उत्पादों के निर्माण उद्योग (घरों की शीशे और कांच की चूड़ी बनाने के उद्योग को छोड़कर) में नियोजन।	320/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
40.	धर्मशालाओं में नियोजन	321/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
41.	निजी पुस्तकालयों में नियोजन	322/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
42.	होटल और रेस्टोरेन्ट उद्योग में नियोजन	323/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
43.	प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं, प्राइवेट विद्यालयों जिनमें नर्सरी स्कूल और प्राइवेट प्राथमिक संस्थाओं में नियोजन।	324/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
44.	चाय बागान में नियोजन	325/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
45.	हौजरी उद्योग में नियोजन	326/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
46.	किसी चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल में नियोजन	327/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
47.	किसी तेल मिल में नियोजन	तद्वैव	1140.00
48.	किसी रोलर आटा मिल में नियोजन	तद्वैव	1140.00
49.	वनिकी (फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन्य उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है में नियोजन	328/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
50.	ईट भट्टा उद्योग में नियोजन	329/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00

51.	काष्ठ कार्य और फर्नीचर में नियोजन	330/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
52.	तम्बाकू निर्माण में नियोजन	331/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
53.	कालीन बुनाई में नियोजन	332/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
54.	कपड़े धोने या प्रसाधन के साबुन, सिलिकेट या साबुन के घूर्ण या प्रक्षालक के निर्माण में नियोजन	333/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00
55.	ऊनी कम्बल बनाने वाले अधिष्ठान में नियोजन	तदर्थ	1140.00
56.	खाण्डसारी में नियोजन	तदर्थ	1140.00
57.	हथकरघा उद्योग एवं शक्ति यालित करघा उद्योग में नियोजन	334/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	1140.00

(संजय कुमार)
श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।

संख्या : 1064 /4-01/13

दिनांक 31/03/2022

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित कर प्रतिपालन कराने का कष्ट करें, तथा श्रमिकों एवं सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध करा दें।

- 1- अपर श्रम आयुक्त (प्रभारी), उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- उप श्रम आयुक्त, देहरादून, 298, हिमगिरी बिहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।
- 3- उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।
- 4- उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार, एस०जी०ओ० परिसर, निकट वाणिज्य कर कार्यालय, रोशनाबाद, हरिद्वार।
- 5- उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंहनगर, विकास भवन परिसर, रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।

(संजय कुमार)
श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत राजपत्र संख्या-194/36-3-2014-07 (न्यु080)/4 दिनांक 28-1-2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या-850/36-03-2019-931(न्यु090)/06 दिनांक 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी हैं उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक आधार वर्ष (2001-100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंकों के ऊपर जुलाई 2021 से दिसम्बर 2021 के औसत अंक 358 अंकों पर दिनांक 1.4.2022 से दिनांक 30.9.2022 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा-

दृष्टान्त- रूपये-5750/- प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल सूचकांक-358 पर दिनांक 01.4.2022 से दिनांक 30.9.2022 तक की अवधि हेतु देय परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित होगा। (358-216)

X 5750 = ₹ 3780/- प्रतिमाह

216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत हैं:-

क्रमांक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	प्रतिमाह परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रूपये में		दिनांक: 1.4.2022 से 30.9.2022 तक	
			दिनांक: 1.10.2021 से 31.3.2022 तक	दिनांक: 1.4.2022 से 30.9.2022 तक	कुल मजदूरी (रूपये में)	दैनिक मजदूरी (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	3434	3780	9530.00	366.54
2	अर्धकुशल	6325	3777.29	4158	10483	403.19
3	कुशल	7085	4231.16	4658	11743	451.65

नियोजन के नाम:-

- खबर की विनिर्माणशाला और खबर उत्पाद(टायर और टयूब सहित) के उद्योग।
- प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
- मिष्ठान उद्योग।
- वासित पेयों (एरोटेज ड्रिक्स) के विनिर्माण।
- फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
- परतदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग।
- पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
- डेरी और मिल्क डेरी।
- सिले सिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला।
- बॉध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
- उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
- प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरों सामान की दुकानों।
- ढलाई घर।
- धातु उद्योग।
- टिन प्लेट शोपिंग और टिन प्रिंटिंग।
- ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
- चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माण शाला।
- चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
- होजरी सकर्म।
- निजी पुस्तकालय।
- काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
- प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक सस्थाएँ भी सम्मिलित हैं।
- तम्बाकू विनिर्माण।
- धर्मशाला।
- वानिकी (फारेस्ट्री)लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य,जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में
- दुकानों में
- वाणिज्य अधिष्ठानों में।
- चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
- तेल मिल।
- लोक मोटर परिवहन।
- यॉन्ट्रिक परिवहन कर्मशाला।
- आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
- सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाने रखने का निर्माण संकियाओं।
- पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
- चिकन के कार्य।
- दियासलाई उद्योग।
- आइसक्रीम/आइसक्रीम विनिर्माणशाला।
- बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
- बर्फ विनिर्माणशाला।

40. एम्बरदर सामन्त कारखाना और अन्य सामन्त उत्पाद विनिर्माणशाखा।
41. लाण्डी और बुलाई अधिष्ठान।
42. जिल्दसाजी।
43. कोल्ड स्टोरेज।
44. पाटरी, सिरेमिक्स या सिफ्टीज।
45. निजी मुद्रणालय।
46. सिनेमा उद्योग।
47. कपड़ा छपाई।
48. सिलाई उद्योग।
49. एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मसी।
50. कलम।
51. हथकरघा(सिल्क की साड़ी की बुनाई) जरी के कार्ड।
52. कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का घूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण।
53. ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान।
54. खाण्डसारी।
55. हथकरघा उद्योग।
56. शक्ति संचालित करघा उद्योग।
57. छोटा(मिनीएवर) बल्ब एवम् कौच उत्पादों के निर्माण।
58. कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
59. ईट भट्टा उद्योग।
60. ताता उद्योग के नियोजन में।
61. पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
62. किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी(सुरक्षा कर्मियों) जिनमें हथियार सहित/हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हों।
63. बुहारने और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौचालयों का निर्माण(प्रतिबंध) अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत के विभिन्न क्रिया-कलाप सम्मिलित नहीं है।
64. घरेलू कामगारों का नियोजन।
65. कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
66. एल0पी0जी0 वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
67. टैक्सोज, आटोरिक्सा/टैम्पो एवं ट्रैवेलिंग अभिकरण में नियोजन।
68. केबिल आपरेटर एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
69. गैर सरकारी संगठन(एन0जी0ओ0) एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
70. विद्युत संवर्धन(विद्युत संवर्धन(सेवा शर्त) अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
71. हेयर कटिंग सैलून एवं व्यूटी पार्लर(पुरुष एवं महिलायें) में नियोजन।
72. कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
73. काल सेंटर/आई0टी0 इण्डस्ट्रीज/टैलीकॉमिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
74. ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आच्छादित न हों, में नियोजन।

(अजय कुमार मिश्रा)

सहायक श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्या-268-76

प्रवर्तन--(एम0डब्ल्यू)/15

दिनांक 31/03/2022

प्रतिलिपि-

1. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराने तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करारें।
2. अनुसचिव उ0प्र0 शासन, श्रम अनुभाग-3, लखनऊ।
3. सहायक निदेशक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, (विज सैल) भारत सरकार नई ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से
4. अधिशासी निदेशक उद्योग बंधु लखनऊ।
5. उप श्रम आयुक्त (आई0 आर0), मुख्यालय, कानपुर।
6. अपर श्रम आयुक्त (कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
7. श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखाध्यक्ष प्रेषित।
8. समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनाथ।

(अजय कुमार मिश्रा)

सहायक श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश,
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

31.3.2022

**बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग**

अधिसूचना

पटना, दिनांक-

एस0 ओ0- दिनांक- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा-5 के साथ वर्णित उक्त अधिनियम की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल अनुबद्ध अनुसूची-1(ब)के स्तंभ-2 में अंकित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी के दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता लागू करने की घोषणा करते हैं। अनुसूची -1(ब) के स्तंभ -02 में उल्लिखित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों पर परियोज्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उक्त अनुसूची-1(अ) के स्तंभ-01 के प्रदर्शित मासों के हेतु उक्त अधिनियम की धारा-2 के खंड (डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची 1(अ) के स्तम्भ-04 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

अनुसूची-1 (अ)

माह एवं वर्ष	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (2016-100)	आधार वर्ष परिवर्तन हेतु लिंक फैक्टर	परिवर्तित मूल्य सूचकांक आधार वर्ष (1960-100)
1	2	3	4
जुलाई, 2021	122.8	4.63 X 4.93 X 2.88	8072.69
अगस्त, 2021	123.0	4.63 X 4.93 X 2.88	8085.84
सितम्बर, 2021	123.3	4.63 X 4.93 X 2.88	8105.56
अक्टूबर, 2021	124.9	4.63 X 4.93 X 2.88	8210.75
नवम्बर, 2021	125.7	4.63 X 4.93 X 2.88	8263.34
दिसम्बर, 2021	125.4	4.63 X 4.93 X 2.88	8243.61
योग :- 48981.79			

वर्ष 2021 के द्वितीय अर्द्धांश जुलाई-दिसम्बर का औसत - $48981.79 \div 6 = 8163.63$

अनुसूची-1 (ब)

अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या -दिनांक- गजट सं०-दि०	कुल
69 नियोजन- सामान्य कार्य	-2847, 2848 दिनांक- 31.03.2021 गजट सं०-833 दि०-30.09.2021	69- अनुसूचित नियोजन

(1) कॉ-ऑपरेटिव सेक्टर (2) अल्मुनियम उद्योग (3) खंडसारी उद्योग (4) केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल उद्योग (5) साबुन निर्माण उद्योग (6) सिमेन्ट प्री-स्ट्रेटेडेड प्रोडक्ट्स उद्योग (7) एस्वेस्टस सिमेंट उद्योग (8) ग्लास शीट निर्माण (9) बन्दूक करखाने (10) धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान (11) पेपर उद्योग (12) लौण्ड्रीज एंड वासिंग (13) होजियरी निर्माण (14) सिन्दुर एवं रंग बनाने का उद्योग (15) घर्म वस्तु निर्माण (16) उड वर्क्स फर्नीचर (17) आइस्क्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स (18) पेट्रोल एवं डिजल पम्पस (19) फिशरीज (20) खादी एवं ग्राम उद्योग (21) प्राईवेट फेरीज एंड एल.टी.सी (22) जिल्दसाजी उद्योग

(23) दफती, कार्ड बोर्ड, मील बोर्ड कारगरेक बोर्ड, एक्स्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण (24) इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग (25) सिमेंट ह्यूम पाईप, बिजली का खंभा एवं रेलवे स्लीपर बनाने का उद्योग (26) प्लाईवुड उद्योग (27) बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग (28) ढलाई (फाउन्ड्री) उद्योग (29) रबड एवं कम्पाउंड उद्योग (30) बिस्कुट उद्योग (31) कोल ब्रिकेट उद्योग (32) सिलाई उद्योग (33) हैंडलूम उद्योग (34) निजी अस्पताल, नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक्स (35) डिस्ट्रीलरीज (36) प्लास्टिक उद्योग (37) मिनरल ग्राईडिंग उद्योग (38) शीशा उद्योग (ग्लास शीट छोड़कर) (39) डेयरीज एवं पॉल्ट्री फार्मश (40) स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण (41) चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं (42) चावल मिल, आटा मिल एवं दाल मिल (43) तेल मिल (44) मुद्रणालय (45) किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान (46) पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट (47) ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले (48) कोल्ड स्टोरेज (49) लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित दुकान को छोड़कर 50 से कम कामगार नियोजित करने वाले) (50) बांध निर्माण एवं सिंचाई कार्य (51) सड़को के निर्माण या अनुरक्षण अथवा भवन निर्माण कार्य (52) बेकरीज एवं कन्फेक्सरीज (53) पकाई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानें (54) होटल, भोजन गृह एवं रेस्तराओं (55) अबरख कार्य (खादान को छोड़कर) कारखाना एवं प्रतिष्ठान (56) सिनेमा उद्योग (57) किसी भी विश्वविद्यालय शैक्षणिकशोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान (58) प्राईवेट सिक्यूरिटी एजेन्सी (59) रिफ्रेक्ट्रीज, फायर ब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग (60) पौट्रीज (61) ऑटोमोबाईल इंजिनियरिंग शौप्स (62) हार्ड कोक नट्टे (63) कूरियर सेवा (64) चूड़ा मिल (65) इलेक्ट्रोकास्टिंग एवं मेटल फरनिशिंग उद्योग (66) अभियंत्रण उद्योग (50 से अधिक कामगार नियोजित करने वाले) (67) लोहा से छड़ पट्टी, एंगल आदि रोसिंग का कार्य (68) जूट उद्योग एवं अनुसंगिक कार्य (69) सूचना एवं प्रौद्योगिक उद्योग।

अनुसूची - II

क्र० सं०	कामगारों की कोटि	दिनांक- 01.12.2016 + 01.04.2017 + 01.10.2017 + 01.04.2018 + 01.10.2018 + 01.04.2019 + 01.10.2019 + 01.04.2020 + 01.10.2020 + 01.04.2021 + 01.10.2021 से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें (रुपये में)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि जो कि दिनांक- 01.04.2022 से प्रभावी होगी	01.04.2022 से लागू कुल मजदूरी की दरें। (स्तंभ 3+4)
1	2	3	4	5
1.	अकुशल	237.00+5.00+5.00+7.00+3.00+11.00+9.00+10.00+5.00+12.00+2.00=306.00	12.00	318.00 प्रतिदिन
2.	अर्द्धकुशल	247.00+5.00+5.00+8.00+3.00+11.00+10.00+10.00+5.00+12.00+2.00=318.00	12.00	330.00 प्रतिदिन
3.	कुशल	301.00+6.00+6.00+9.00+3.00+15.00+12.00+12.00+6.00+15.00+3.00=388.00	15.00	403.00 प्रतिदिन
4.	अतिकुशल	367.00+7.00+7.00+11.00+4.00+19.00+14.00+15.00+7.00+19.00+4.00=474.00	18.00	492.00 प्रतिदिन
5.	पर्यवेक्षीय/लिपिकीय	6799.00+136.00+139.00+212.00+73.00+324.00+272.00+272.00+136.00+340.00+68.00=8771	340.00	9111.00 प्रतिमाह

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगा जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथास्थिति वृद्धि अथवा हास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ-4 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जायेगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जायेगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई हो तो निर्धारित/पुनरीक्षित न्यूनतम

मजदूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भुगतान उपर्युक्त दर से जुलाई-दिसम्बर, 2021 के औसत के आधार पर 01 अप्रैल, 2022 से देय होगा और इसके बाद प्रत्येक छः महीने के औसत अखिल भारतीय उपमोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि में वृद्धि अथवा कमी संबंधित छमाहीं के तीन महीने बाद से लागू होगा।

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-16/2021 श्र0सं0-992)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

अधिसूचना

एस0ओ0 दिनांक पटना, दिनांक-
राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।
का अंग्रेजी भाषा में निम्नलिखित अनुवाद बिहार

(संख्या-5/एम0डब्लू0-40-16/2021 श्र0सं0-992)

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

NOTIFICATION

Patna, dated-

S.O. Date In exercise of the powers conferred by section -3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), read with the clause (B) of sub-section(1) of Section-5 of the said act, the Governor of Bihar is pleased to introduce the formula for Variable Dearness Allowance in the minimum rates of wages fixed/ revised for the different categories of employees employed in the scheduled employments mentioned in column-02 of schedule 1(B) here to appended for the months shown in column-1 of the said schedule shall be shown in column-04 of the schedule 1(A) for the purpose of clause (d) of section -02 of the said Act.

Schedule-1 (A)

Month & Year	Index No Base Year (2016=100)	Link Factor Change for base year	Changed Index No. for base year (1960-100)
1	2	3	4
July, 2021	122.8	4.63 X 4.93 X 2.88	8072.69
August, 2021	123.0	4.63 X 4.93 X 2.88	8085.84
September, 2021	123.3	4.63 X 4.93 X 2.88	8105.56
October, 2021	124.9	4.63 X 4.93 X 2.88	8210.75
November, 2021	125.7	4.63 X 4.93 X 2.88	8263.34
December, 2021	125.4	4.63 X 4.93 X 2.88	8243.61
Total			48981.79
Second Half Yearly Average of the year 2021 July-December $48981.79 \div 6 = 8163.63$			

SCHEDULE-I(B)

Name of employment		Total
69 Employment - General Work	Notification No- 2847, 2848 Dated- 30.09.2021 Gazette No.- 833 Dated- 30.09.2021	<u>69 Scheduled Employment</u>

(1) Co-operative Sector (2) Aluminum Industry (3) Khansari industry (4) Chemical and Pharmaceutical Industry (5) Soap Making Industry (6) Cement Pre - stressed product Industry (7) Asbestos Cement Industry (8) Glass Sheet Industry (9) Gun factories (10) Religious & Social Institution (11) Paper Industry (12) Laundries & washing (13) Hosieries Manufactory (14) Manufacture of Sindur & Rang (15) Manufacture of Leather goods (16) Wood works & furniture (17) Ice Cream and Cold Drinks (18) Petrol and Diesel Pump (19) Fisheries (20) Khadi and Village Industries (21) Private Ferries & LTC (22) Book binding Industry (23) Manufacturing of Dafti, Card Board, Mill Board, Corrugated Board, Straw Board or Gatta Paper Board. (24) Electronics Industry (25) Cement Hume pipe, Electric pole

and Railway Sleeper manufactures Industry (26) Plywood Industries (27) Electric and other type of Bulbs and Florence tubes (28) Foundry Industries (29) Rubber and Rubber Compound Industry (30) Biscuit Industry (31) Coal Briquette Industry (32) Tailoring Industry (33) Handloom Industry (34) Private Hospitals, Nursing Homes and Clinics (35) Distilleries (36) Plastic Industries (37) Mineral Grinding Industry (38) Glass Industries (excluding glass sheet) (39) Dairies and Poultry Farms (40) Manufacture of Gold, Silver Ornaments & Articles of artistic design. (41) Tanneries Leather Technology (42) Rice Mills, Flour Mills & Dal Mills (43) Oil Mills (44) Printing Press (45) Any Shops or Establishment (46) Public Motor Transport (47) Any Woolen Carpet Making or Shawl weaving establishments (48) Cold Storage (49) Minor Engineering Industry (Excluding automobile engineering shops less than 50 workers.) (50) Dam Construction & Irrigation (51) Construction or Maintenance of Road or in Building Construction (52) Bakeries and Confectioneries (53) Shops selling cooked food stuff (54) Hotels Eating Houses and Restaurants (55) Mica works (Factory & Establishments) (excluding Mines) (56) Cinema industry (57) Any University, Educational, Research or Cultural Institutions. (58) Private Security Agency (59) Refectories Fire Bricks & Ceramic Industry (60) Potteries (61) Automobile Engineering Shops (62) Hard Coke Industry (63) Currier Services (64) Frittered Rice (65) Electro casting and Metal Furnishing (66) Engineering Industries (Employment more than 50 workers) (67) Rolling of Iron Rod, Plates, Angles etc. works (68) Jute Industry & ancillary works (69) Information Technology

SCHEDULE -II

Sl. No	Categories of Worker	From Dated-01.12.2016 + 01.04.2017 + 01.10.2017+01.04.2018 + 01.10.2018 +01.04.2019+01.10.2019 + 01.04.2020 + 01.10.2020 +01.04+2021+01-10-2021 Minimum Wages Fixed (In. Rs.)	Amount of V.D.A. which is effective from the date- 01.04.2022 (In Rs.)	Total rates of wages effective from the date 01.04.2022 Column (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Unskilled	237.00+5.00+5.00+7.00+3.00+11.00+9.00+10.00+5.00+12.00+2.00=306.00	12.00	318.00 Per day
2.	Semi skilled	247.00+5.00+5.00+8.00+3.00+11.00+10.00+10.00+5.00+12.00+2.00=318.00	12.00	330.00 Per day
3.	Skilled	301.00+8.00+6.00+9.00+3.00+15.00+12.00+12.00+6.00+15.00+3.00=388.00	15.00	403.00 Per day
4.	Highly Skilled	387.00+7.00+7.00+11.00+4.00+19.00+14.00+15.00+7.00+19.00+4.00=474.00	18.00	492.00 Per day
5.	Supervisory/Clerical	6799.00+136.00+139.00+212.00+73.00+324.00+272.00+272.00+138.00+340.00+68.00 =8771	340.00	9111.00 Per month

These rates of Variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages has been fixed/revised in the above scheduled employment. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column -4 with rise or fall as the case may be in aforesaid

S

index of the above scheduled employment and will be deemed as Variable Dearness Allowance components. But even if the Index fall below the point on which minimum rates of wages have been fixed / revised there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised. The payment of variable Dearness Allowance on the basis of average index of **July-Dec., 2021** will be payable at the aforesaid rates from **1st April, 2022** and thereafter increase or decrease in the amount of variable Dearness Allowance will be based on the average of All India Consumer Price Index number for every six months and will be applicable after the expiry of three months after said period of six months.

(No-5/ M.W.- 40-16/2021 L&R- 992)


By the order of the Governor of Bihar,



(Gajendra Kumar Mishra)
Joint Secretary.

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 अ०सं०- 993 पटना, दिनांक- 30/3/22
प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, गजट मुद्रण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की दो प्रतियाँ एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय एवं उक्त राजपत्र की 100 (सी) प्रतियाँ श्रमायुक्त, बिहार का कार्यालय अत्र संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।


ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 अ०सं०- 993 पटना, दिनांक- 30/3/22
प्रतिलिपि- निदेशक, श्रम मंत्रालय(वेज सेल) भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/निदेशक, श्रम व्यूरो, शिमला एवं चंडीगढ़/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/मुख्य मंत्री सचिवालय, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/बिहार सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप श्रमायुक्त/ सहायक श्रमायुक्त, शोध शाखा/सभी सहायक श्रमायुक्त/ सभी श्रम अधीक्षक /निदेशक, कृषि श्रमिक, बिहार, पटना/मुख्य निरीक्षी पदाधिकारी, बिहार, पटना/मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/सभी उप मुख्य कारखाना निरीक्षक/सभी कारखाना निरीक्षक/मुख्य वाष्पित्र निरीक्षक बिहार, पटना एवं सभी वाष्पित्र निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 अ०सं०- 993 पटना, दिनांक- 30/3/22


प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग-सह-अध्यक्ष, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद/सभी सदस्य, बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्वद/सचिव, बिहार चेम्बर ऑफ कामर्स, खेमचन्द चौधरी मार्ग, पटना-01/सचिव, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सिन्हा लाईब्रेरी रोड, पटना/प्राचार्य, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना/उप कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना/उप कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/मुख्य अभियंता (ग्रामीण अभियंत्रण संगठन), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/मनरेगा आयुक्त, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग तकनीकी कोषांग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले सभी कर्मों एवं कार्यालय को अपने-अपने स्तर से अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।


(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-5/एम०डब्लू-40-16/2021 अ०सं०- 993 पटना, दिनांक- 30/3/22

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(गजेन्द्र कुमार मिश्रा)
संयुक्त सचिव।

अनुसूची -अ

जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है (आंकड़े रूपयों में)

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रूपयों में)

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दर		श्रमिकों का वर्ग		न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्डअप कर दैनिक दरें	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन	
दिनांक 01.10.2021 से 31.03.2022 तक								दिनांक 01.04.2022 से 30.09.2022 तक									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13	14	15			
6500.00	250.00	2300.00	88.46	8800.00	338.00	338.00	अकुशल	6500.00	250.00	2625.00	100.96	9125.00	350.90	351.00			
7057.00	271.42	2600.00	100.00	9657.00	371.00	371.00	अर्धकुशल	7057.00	271.42	2925.00	112.50	9982.00	383.92	384.00			
8435.00	324.42	2600.00	100.00	11035.00	424.00	424.00	कुशल	8435.00	324.42	2925.00	112.50	11360.00	436.92	437.00			
9735.00	374.42	2600.00	100.00	12335.00	474.00	474.00	उच्चकुशल	9735.00	374.42	2925.00	112.50	12660.00	486.92	487.00			

स्पष्टीकरण-

- (1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणोंको को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर 2008 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा विशेष टीप :- उपर्युक्त अनुसूची -क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई है। इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।
- (2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर व्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001-100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।
- (3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

टीप:- न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, के अन्तर्गत 67 अनुसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट-अ तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट-द में देखे।


(डॉ. वीरन्द्र सिंह रावत)
 श्रम आयुक्त,
 मध्यप्रदेश, इंदौर
 १२



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032022-233973
CG-DL-E-07032022-233973

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173]
No. 173]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 7, 2022/ फाल्गुन 16, 1943
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 7, 2022/PHALGUNA 16, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2022

सा.का.नि. 176.—कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों को अंतर्विष्ट करने वाला प्रारूप कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 400 (अ), तारीख 14 जून, 2021 द्वारा उन सभी व्यक्तियों, जिनकी इससे प्रभावित होने की संभावना है, से उस तारीख जिसको उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, से 30 दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 14 जून, 2021 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात्, कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) संशोधन नियम, 2022 है।
- (2) उन्हें जनवरी, 2017 के 20वे दिन से लागू माना जाएगा।

2. कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियमावली, 1950 के नियम 55 के उप नियम (1) के तीसरे परन्तुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु यह और कि यदि कोई बीमाकृत महिला मातृत्व हितलाभ प्राप्त कर रही है और मातृत्व हितलाभ के कारण, उस अंशदान समाप्त अवधि में कम अंशदान अवधि उपलब्ध है जिसमें मातृत्व हितलाभ आता है, तो वह तदनुरूपी हितलाभ अवधि में बीमारी हितलाभ का दावा करने के लिए योग्य होगी, यदि ऐसी अंशदान अवधि में बीमाकृत महिला के संबंध में देय अंशदान के संबंध में कार्य के लिए उपलब्ध दिवसों की संख्या आधी से कम न हो।”

[फा. सं. एस-65012/01/2021-एसएस-1]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत का राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 212 तारीख 22 जून, 1950 द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 676(अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 के नियम 56 के उप नियम (2) के अधीन तारीख 20 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 62(अ.) के माध्यम से 20 जनवरी, 2017 से प्रभावी प्रसूति प्रसुविधा को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया था। प्रसूति प्रसुविधा में 26 सप्ताह (अर्थात् 182 दिन) की वृद्धि से इस प्रसुविधा का लाभ उठाने वाली बीमित महिला रूग्णता लाभ (नकद लाभ) प्राप्त करने की पात्र नहीं रह जाती है क्योंकि गर्भावकाश के कारण उक्त भुगतान अवधि में उससे कोई पर्याप्त अंशदान प्राप्त नहीं हुआ था। ऐसी बीमित महिला को रूग्णता लाभ भी प्राप्त करने के लिए पात्र बनाने के प्रयोजन से प्रस्ताव किया जाता है कि नियम 55 के उप नियम (1) में संशोधन किया जाए ताकि 20 जनवरी, 2017 से प्रभावी एक नए परन्तुक को पूर्वव्यापी प्रभाव से अंतःस्थापित किया जा सके जिससे इस नियम के संशोधन न किए जाने से ऐसी सभी महिलाएं जो पात्र नहीं रह गई हैं उनको उक्त तारीख से प्रसुविधा का लाभ दिया जा सके। इससे अधिक से अधिक बीमित महिलाएं ऐसे लाभ का दावा कर सकेंगी और इस पूर्वव्यापी संशोधन से कोई भी लाभार्थी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के किसी अन्य प्रसुविधा का लाभ लेने से अन्यथा वंचित नहीं रहेगा।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2022

G.S.R. 176(E).—Whereas a draft containing certain rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 400 (E), dated the 14th June, 2021, as required by sub-section (1) of section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification was published were made available to public;

And whereas, the copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 14th June, 2021;

And whereas, objections and suggestions received from stakeholders in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 95 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the following rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, namely:-

- (1) These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) Amendment Rules, 2022.
- (2) They shall be deemed to have come into force on the 20th day of January, 2017.

2. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, in sub-rule (1) of rule 55, after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that in case of an insured woman who is in receipt of maternity benefit and due to reason of which a shorter contribution period is available to her in the contribution period in which the maternity benefit falls, she shall be qualified to claim sickness benefit in the corresponding benefit period if the contribution in respect of her was payable for not less than half the number of days available for working in such contribution period.”.

[F. No. S-65012/01/2021-SS-I]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number S.R.O. 212, dated the 22nd June, 1950 and last amended *vide* notification number G.S.R. 676(E), dated the 27th October, 2020.

Explanatory Memorandum

Maternity benefit under sub-rule (2) of rule 56 of the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950 was enhanced from 12 weeks to 26 weeks with effect from 20th January, 2017 *vide* notification number G.S.R. 62(E), dated the 20th January, 2017. The enhancement in maternity benefit to 26 weeks (i.e., 182 days) led to the insured woman availing this benefit becoming dis-entitled to sickness benefit (cash benefit) as no sufficient contribution was received in that particular contribution period due to confinement. In order to make such insured woman entitled to sickness benefit also, it is proposed to amend the sub-rule (1) of rule 55 so as to insert a new proviso with retrospective effect, i.e., with effect from 20th January, 2017 so that all those who became dis-entitled by not amending this rule earlier, can avail the benefit from the said date. This would entitle more insured women to claim the benefit and this retrospective amendment shall not prejudicially affect any beneficiary of any other benefit entitled under Employees' State Insurance Act, 1948.

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 106]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 8 मार्च 2022—फाल्गुन 17, शक 1943

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2022

क्र. 403-442-2022-A-16.—मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 (क्रमांक 25 सन् 1958) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व की अधिसूचनाओं की निरंतरता में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में यथा विनिर्दिष्ट, उक्त अधिनियम की धारा के उपबंध, कालम (3) में यथा विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अधधीन रहते हुए, उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में, कालम (1) में यथा विनिर्दिष्ट स्थापना को लागू नहीं होंगे, अर्थात्:—

अनुसूची

स्थापना (1)	धारा (2)	निबंधन तथा शर्तें (3)	क्षेत्र (4)
उपाहार गृह तथा भोजन गृह	धारा 14 की उपधारा (1)	1. प्रत्येक कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन का अवकाश दिया जाएगा. 2. किसी भी कर्मचारी को सप्ताह में 48 घंटे से अधिक के लिए कार्य हेतु नहीं बुलाया जाएगा.	संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य

No.403-442-2022-A-16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Madhya Pradesh Shops and Establishments Act, 1958 (No. 25 of 1958) and in continuation of the previous notification in this behalf, the State Government, hereby, directs that the provisions of section of the said Act as specified in column (2) of the Schedule given below shall not apply to the Establishment as specified in column (1) subject to the terms and conditions as specified in column (3) in the areas specified in column (4) of the said Schedule, namely:—

SCHEDULE

Establishment (1)	Section (2)	Terms and Conditions (3)	Areas (4)
Restaurant and Eating House	Sub-section (1) of Section 14.	1. Every employee shall be given one day holiday in a week. 2. No employee shall be called for work for more than 48 hours in a week.	The whole of the State of Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जगदीश चंद्र जटिया, उपसचिव.



Punjab Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

CHANDIGARH, THURSDAY, MARCH 3, 2022 (PHALGUNA 12, 1943 SAKA)

GOVERNMENT OF PUNJAB

DEPARTMENT OF LABOUR

(Labour Branch)

NOTIFICATION

The 3rd March, 2022

No. Labour-Lab0PSCA/2/2021-5L/I/325484/2022.-In supersession of Punjab Government Notification No 21/66/2013-4L/325624 dated 15th October, 2014, the Governor of Punjab is pleased to formulate a Scheme for the Shops and Establishments in the State under the Puniab Shops and Commercial Establishment Act 1958 for giving exemption from the provisions of Section-30 of the Act. The exemption will be given on case to case basis on receipt of applications from the establishments on the following terms and conditions:-

1. The Establishment must be registered/ renewed under the Punjab Shops and Commercial Establishment Act, 1958.
2. The total no. of hours of work of an employee in the establishment shall not exceed nine hours on any one day and 48 hours in a week.
3. The spread over inclusive of interval for rest in the establishment shall not exceed twelve hours on any one day.
4. The total no. of hours of overtime work shall not exceed fifty in any one quarter and the person employed for over time shall be paid remuneration at double the rate of normal wages payable to him calculated by the hour.
5. The Management will ensure protection of women from Sexual Harassment at work place in terms of the direction of the Hon'ble Supreme Court in the case of Vishaka & Others Vs. State of Rajasthan vide Judgment dated 13-8-1997 (AIR 1997 Supreme Court-3011).
6. The Management will provide adequate Security and proper Transport facility to the women workers including women employees of contractors during the evening/night shifts.
7. In case the management is not providing transport facility or security through employees directly recruited by him and proposes to provide through service providers then the Management shall

- execute the Security and Transport Facility Contract with an appropriately licensed/registered Security Agency.
8. The Management will ensure that women employees will board the vehicle in the presence of security guards on duty.
 9. The Management will ensure that the Security In-charge/Management have maintained the Boarding Register or computerized record consisting of the Date, Name of the Model & Manufacturer of the Vehicle, Vehicle Registration No., Name of the Driver, Address of the Driver, Phone/Contact No. of the Driver and Time of Pickup of women employees from the residence to establishment and vice versa.
 10. The Management will ensure that the Attendance Register of the security guard is maintained by the security in-charge/management.
 11. The Management will also ensure that the transport vehicle in-charge/security in-charge/management maintains a movement register.
 12. No employee of any establishment shall knowingly employ a woman and no woman shall engage in employment in any establishment during six weeks following the day of her confinement or miscarriage.
 13. The Management will ensure that the vehicle does not have black or tinted glasses and also ensure that there are no curtains in the vehicle and occupants of vehicle are clearly visible from all sides.
 14. The Management will ensure that emergency call nos. are prominently displayed inside the vehicle. The Management will also ensure that the driver will not pick up any women employee first for work place and will not drop her last at home/her accommodation.
 15. The Management will ensure that the driver will not leave the dropping point before the women employee enters into her accommodation.
 16. The Management will ensure that there is an annual self defence workshop/training for women employees.
 17. In the night shift, minimum of five women employees shall be employed.
 18. The manager of the establishment will be required to abide by the provisions of Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, prohibition and Redressal) Act. 2013.
 19. Such other conditions as may be specified in this regard by the Labour Department from time to time.

Chandigarh
The 3rd March, 2022

RAVNEET KAUR, I.A.S.
Special Chief Secretary to Government of Punjab,
Department of Labour.



महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग आठ

वर्ष ८, अंक १५]

गुरुवार, मार्च १७, २०२२/फाल्गुन २६, शके १९४३

[पृष्ठे २, किंमत : रुपये २७.००

असाधारण क्रमांक ३५

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम आणि विधि व न्याय विभागाकडून आलेली विधेयके (इंग्रजी अनुवाद).

In pursuance of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the following translation in English of the Maharashtra Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Amendment) Act, 2022 (Mah. Act. No. XXIV of 2022), is hereby published under the authority of the Governor.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

SATISH WAGHOLE,

I/c. Secretary (Legislation) to Government,
Law and Judiciary Department.

MAHARASHTRA ACT No. XXIV OF 2022.

(First published, after having received the assent of the Governor in the "Maharashtra Government Gazette", on the 17th March 2022.)

An Act to amend the Maharashtra Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017.

Mah. LXI of 2017. WHEREAS it is expedient to amend the Maharashtra Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017, for the purposes hereinafter appearing ; it is hereby enacted in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Maharashtra Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Amendment) Act, 2022. Short title.

Mah. LXI of 2017. 2. In section 1 of the Maharashtra Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017 (hereinafter referred to as "the principal Act"), for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely :— Amendment of section 1 of Mah. LXI of 2017.

“(3)(a) The provisions of this Act, except section 7, shall apply to the establishments employing ten or more workers.

(b) The provisions of sections 7 and 36A shall apply to the establishments employing less than ten workers.”.

Amendment
of section 17
of Mah. LXI
of 2017.

3. In section 17 of the principal Act, clause (g) shall be deleted.

Insertion of
new section
36A in Mah.
LXI of 2017.

4. After section 36 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

Name Board
to be in
Marathi.

“**36A.** (1) The Name Board of every establishment registered under section 6, or of every establishment to which section 7 apply, shall be in Marathi language in *Devnagari* script :

Provided that, the employer of such establishment may also have the Name Board in any other language and script in addition to Marathi in *Devnagari* script :

Provided further that, lettering in Marathi language shall essentially be written in the beginning on the Name Board and the font size of the letters in Marathi Language shall not be smaller than the font size of the letters in any other language.

(2) No establishment where liquor is served or sold shall have a Name Board in the name of legends or forts.”.

OFFICE OF THE SPL. COMMISSIONER OF LABOUR
ANDHRA PRADESH :VIJAYAWADA

Memo.No.LAE03-22021/1/2022-E1-LBRCOMR

22/03/2022

Sub: AP Shops & Establishments act 1988- Introducing Auto Renewals of Registration under the Andhra Pradesh Shops and Establishments Act, 1988(Act No. 20 of 1988) on submission of self-certification and payment of fee online instead of exemption from renewals of registration- Instructions issued- Reg

Ref: 1)G.O.Ms No. 11 of LFB & IMS (Lab-I) Department, Dt: 13.08.2021.

2) Mail received from ap online dated 20.03.2022

<<<>>

Government have issued notification vide reference 1st cited for the Auto renewals of Registration under the Andhra Pradesh Shops and Establishments Act, 1988 after submission of self certification and payment of fee online instead of, exemption from renewal of Registrations introduced in view of the completion of phase-II action plans as set by DPIIT Regulatory Compliance Portal.

It is further informed that the renewal process has been enabled to all kiosks under the application for integrated registration of establishment under Labour Laws (Second Schedule (Sec2(d) and Sec 4(1)) - Form A service in Labour Department vide reference 2nd cited.

Therefore, all the Deputy Commissioners of Labour, Assistant Commissioners of Labour and Assistant Labour Officers in the state are instructed to pursue the auto renewal process by all the Shops and Establishments in order to comply with the said G.O and also inform the employers / Stake holders to utilize the facility and remit the requisite fee directly through Mee-Seva.

S Lakshminarayana
Joint Commissioner

To,
All the DCLs/ACLs/ALOs in the state.
Copy to Peshi to Spl.COL, A.P., Vijayawada.



ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజపత్రము

THE ANDHRA PRADESH GAZETTE
PUBLISHED BY AUTHORITY

PART I EXTRAORDINARY

No.433

AMARAVATI, SATURDAY, AUGUST 14, 2021

G.353

NOTIFICATIONS BY GOVERNMENT

--X--

**LABOUR FACTORIES BOILERS & INSURANCE
MEDICAL SERVICES DEPARTMENT**
(Lab-I)

EASE OF DOING BUSINESS (EoDB) - LABOUR DEPARTMENT - DPIIT - GOVERNMENT OF INDIA - MINIMIZING REGULATORY COMPLIANCE BURDEN - INTRODUCING AUTO RENEWALS OF REGISTRATION UNDER THE ANDHRA PRADESH SHOPS AND ESTABLISHMENTS ACT, 1988 (ACT NO.20 OF 1988) AFTER SUBMISSION OF SELF CERTIFICATION AND PAYMENT OF FEE ONLINE INSTEAD OF EXEMPTION FROM RENEWAL OF REGISTRATIONS.

**[G.O.Ms.No.11, Labour Factories Boilers & Insurance Medical Services (Lab-I),
13th August, 2021.]**

NOTIFICATION

In exercise of powers conferred under sub-section 4 of section 73 of the Andhra Pradesh Shops and Establishments Act, 1988 (Act No.20 of 1988) the Government hereby amend in terms of regulatory impact assessment and use of technology, section 4 read with rules 3(4), 3(5), 3(6) and 3(7) of the Andhra Pradesh Shops and Establishments Act, 1988 and Rules, 1990, Auto renewal of Registration under Shops and Commercial Establishments on submission of self certification and payment of fee online introduced instead of exemption from renewal of Registrations under the Andhra Pradesh Shops and Establishments Act, 1988 in the State.

G. ANANTHA RAMU,

Special Chief Secretary to Government (FAC).



ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజపత్రము

THE ANDHRA PRADESH GAZETTE
PUBLISHED BY AUTHORITY

PART I EXTRAORDINARY

No.396

AMARAVATI, TUESDAY, MARCH 8, 2022

G.1311

NOTIFICATIONS BY GOVERNMENT

--X--

LABOUR FACTORIES BOILERS & INSURANCE
MEDICAL SERVICES DEPARTMENT
(Lab-II)

DPIIT - GOVERNMENT OF INDIA - EASE OF DOING BUSINESS (EoDB) - THE FACTORIES ACT, 1948 AND THE ANDHRA PRADESH FACTORIES RULES, 1950 - MINIMISING THE COMPLIANCE BURDEN - AMENDMENTS TO THE ANDHRA PRADESH FACTORIES RULES, 1950 - FINAL NOTIFICATION.

***[G.O.Ms.No.7, Labour Factories Boilers & Insurance Medical Services (Lab.II),
2nd March, 2022.]***

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under section 112 of the Factories Act, 1948 (Act No.63 of 1948), the Governor of Andhra Pradesh hereby makes the following amendments, to the Andhra Pradesh Factories Rules, 1950 as subsequently amended, and the same have been published in the Andhra Pradesh Gazette No.219, Part-I, Dated: 14.08.2021 vide G.O.Ms.No.10, Labour, Factories, Boilers & Insurance Medical Services (Labour.II) Department, Dated:13.08.2021 as required under Sub-section (1) of Section 115 of the Factories Act, 1948.

AMENDMENTS

In the said rules;

I. In Rule 3

1. for Clause (b), in sub-rule (1), for the words "**75 HP or more**", the words "**more than 30HP**" shall be substituted;
2. for sub-rule (2), for the words "by delivery in person or by registered post, an application in Form No.1 together with particulars and plans in triplicate and the original challan for the scrutiny fee at the following rates:-", the words "an application ONLINE through Single Desk Portal or any other Online Portal as may be notified by the State Government from time to time, together with particulars, plans and Scrutiny fee paid online at the following rates:-" shall be substituted.
3. for sub-rule (5), **for the words** "thirty (30) days from the date on which the application has been delivered in person or sent by registered post", **the words** "Seven (7) days from the date on which the application has been made ONLINE through Single Desk Portal or any other Online Portal as may be notified by the State Government from time to time" shall be substituted.
4. The sub-rule (6) shall be omitted.
5. For sub-rule (8), the following shall be substituted, namely,-

"In the case of any factory not covered by sub-rule (1) of this rule, the Government or the Chief Inspector may, having regard to any special circumstances in any particular existing or proposed factory, by order, require the owner or occupier to submit the particulars and plans of the factory through online Single desk portal or any other portal as may be notified by Government from time to time, within thirty (30)days of the service of the order."

II. In Rule 4,

1. For the sub-rule (1), the following shall be substituted, namely,-

"The occupier of every factory shall, before commencing any manufacturing process in any factory, apply to the Inspector ONLINE through Single Desk Portal or any other Online Portal as may be notified by the State Government from time to time, for the registration of the factory and the grant of a license in the form as prescribed in the Single Desk Portal or any other online Portals as may be notified by the State Government from time to time, along with the annual license fee as prescribed in the schedule to Rule 6 which is to be paid ONLINE for each calendar year or up to **ten** times the Annual License Fee prescribed in the said Schedule in case, the occupier prefers to pay for a block period of not more than **ten** calendar years at a time"

2. The Clause (a) of sub-rule (2) shall be omitted.

3. for sub-rule (3), for the words "thirty (30) days from the date on which the occupier has sent intimation under sub-rule 2(a), the license shall be deemed to have been granted and thereupon the license shall be issued forthwith." the following words "Seven (7) days from the date on which the application has been received ONLINE through Single Desk Portal or any other Online Portal as may be notified by the State Government from time to time, the license shall be deemed to have been granted." shall be substituted.

III. In Rule 5, for sub-rule(1), the following shall be substituted, namely,-

"The occupier or the owner of a factory shall, within fifteen days of the occurrence of any change of name, or in the particulars of the maximum horse power installed or maximum number of persons employed, send to the Inspector an application online through Single Desk Portal or any other Online Portal as notified by the State Government from time to time for the amendment of the original license stating the nature of the amendment to be made and the reasons therefore together with the prescribed fee paid online."

IV. In Rule 6, for sub-rule (1), for the word "Three", the word "Ten" shall be substituted.

V. For Rule 8, the following shall be substituted, namely,-

"A license may be transferred from one occupier to another consequent to any transfer of the factory and both transferor and the transferee shall inform the details of the transfer followed by an online application by the transferee to the Inspector concerned along with Transfer Fee of Rs.50/- (Rupees Fifty only). The mere submission of such application shall be deemed to be the endorsement of transfer until the transfer is formally endorsed by the Inspector, unless the application has been refused by a speaking order in writing within a period of seven days from the date of applying through single desk portal or any other online portal as may be notified by the State Government from time to time."

VI. In Rule 10, the following proviso shall be added, namely, -

"Provided that if the said license lost or destroyed is initially granted under these rules through online portal, a duplicate may be downloaded ONLINE through Single Desk Portal or any other Online Portal as notified by the State Government from time to time."

VII. In Rule 13,

1. (I) For clause (a) in sub-rule(1), the following shall be substituted, namely, -

" a. to photograph any worker, to inspect, examine, measure, copy, photograph, sketch or test, as the case may be, any building or room, any plant, machinery, appliance or apparatus, any register or document or anything provided for the purpose of securing the health, safety or welfare of the workers employed only in factories which are allotted online by Central Inspection Portal for regular inspection or Joint Inspection in accordance with procedure laid therein or in factories wherein investigation of accidents and dangerous occurrences is to be carried on or other factories, with the prior sanction of the Chief Inspector of Factories, wherein conducting the inspections are deemed appropriate by the Chief Inspector of Factories having regard to any special circumstances.

b. An Inspector, who inspects a factory allotted by Central Inspection Portal for regular inspection, shall upload the inspection observations in the Central Inspection Portal within 48 hours from the time of completion of the inspection. The inspection shall be, as far as reasonably practicable, limited to the checklist made available in Central Inspection Portal.

c. No Inspector shall inspect any factory, for which a valid Self certification of compliance or Third party certification of compliance is admitted in accordance with a scheme notified by the State Government from time to time and is in force, unless otherwise ordered by Chief Inspector of factories in this regard."

(II) for Clause(b) in sub-rule(1), after the words "Under the Act"the following words shall be added, namely,-

"only in the factories for which the prior permission is accorded by the Chief Inspector of Factories for carrying on such examinations."

VIII. In Rule 37, for sub-ruies(1) and (2), the following shall be substituted, namely,-

"The Drinking Water supply shall be only from a source, certified for its fitness for human consumption by any of the NABL accredited laboratories.

Provided that this requirement shall not apply to any source the water therein is filtered and treated to the satisfaction of the Health Officer before it is supplied for consumption."

IX. In Rule 61J, for sub-rule(4),for the words" **Form.No.8C**", the words "**Form.No.5**" shall be substituted.

X. In Rule 61(SG)A, for sub-rule(1), in clause(a), for the words "**100 or more**", the words "**500 or more**" shall be substituted.

XI. In Rule 69, for sub-rule(2), the following shall be substituted, namely,-

"The accounts pertaining to income and expenditure of the canteen shall be placed before the canteen managing committee once in every 12 months. The canteen managing committee shall inspect the records in detail with respect to satisfying the requirement of "Charging No Profit price" for the food/Beverages supplied to the workers. The findings shall be recorded in the minutes of meeting of canteen managing committee. Any Discrepancy if noticed by the canteen managing committee shall be immediately brought to the notice of Chief Inspector of Factories under intimation to Occupier and Manager. The decision of Chief Inspector of Factories shall be final in this regard."

XII. In Rule 70,

1. for the sub-rule (2), the following shall be substituted, namely,-

"The canteen managing committee shall consist of an equal number of management representatives nominated by the Occupier and worker's representatives nominated by the recognized union, while ensuring one representative from each Department in the factory. In case, if no union is recognized by the time of constitution of canteen managing committee, the workers representatives shall be nominated by the Occupier."

2. for the sub-rule (5), the following shall be substituted, namely, -

"A canteen managing committee shall be deemed to be dissolved by the expiry of two (2) years tenure from the date of its constitution/ Reconstitution. The reconstitution of the next Canteen Managing Committee shall be done accordingly in advance so as to ensure the continuity without a break between tenures of two successive committees."

XIII. In rule 76-B,

1. for sub-rule(3), the Clause (i) and clause(ii) shall be omitted.

2. In sub-rule(4), in Clause (i), the following words and expressions shall be omitted, namely,-

"and shall be fixed in a scale of pay which shall not be less than,-

(a) Rs. 4400-8700-Revised Scale of 1993 (Plus such allowances as applicable to similar pay scale) obtaining in the concerned factory/ establishment in the case of Chief Welfare Officer; and

(b) Rs.3110-6380-Revised scale of 1993 (Plus such allowances as applicable to similar pay scale) obtaining in the concerned factory/ establishment in the case of Welfare Officer."

XIV. In Rule 77, the sub-rule (2) shall be omitted.

XV. The Rule 86 shall be omitted.

XVI. In Rule 95, In Schedule-XIII, in para 14-A, for the clause (2) the following shall be substituted, namely,-

"Every worker employed in the said processes involving raw cashew roasting shall be re-examined by a Certifying surgeon at least once in every three calendar months. Factories where raw cashew roasting is not involved, the workers shall be re-examined once in every 12 calendar months."

XVII. For Rule 100, the following shall be substituted, namely, -

"The manager of every factory shall submit Integrated Annual Return ONLINE through Single Desk Portal or any other Online Portal as may be notified by the State Government from time to time to the Inspector having jurisdiction over the area where the factory is located on or before 30th April of the year subsequent to that to which the return relates."

G. ANANTHA RAMU,
Special Chief Secretary to Government (FAC).

---X---